माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. इस गरिमामयी सदन के समक्ष हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2020–21 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष भी है और गर्व भी।

2. मेरे हर्ष का कारण यह है कि हरियाणा के समाज के सभी वर्गों और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा वर्ष 2019 के आम चुनावों में हरियाणा की जनता द्वारा निर्वाचित विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाले सभी सांसदों एवं सभी विधायकों से व्यापक विचार–विमर्श करके ही बजट बनाने का मेरा संकल्प सफल हुआ है।

3. अपना 'यह विचार मैंने अपने अधिकारियों और सलाहकारों से पहली बार गत दिसम्बर में सांझा किया था। उनकी प्रथम प्रतिक्रिया थी कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों से आगामी बजट के बारे में बात करना तो ठीक है, परंतु विपक्षी राजनीतिक दलों से बात नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि हरियाणा में तो क्या, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी प्रदेश में किसी भी वित्त मंत्री ने कभी भी बजट से पहले सभी विधायकों से परामर्श नहीं किया है। कइयों को तो यह भय था कि विधायक केवल अपने चुनाव क्षेत्रों की मांगें ही रखेंगे और उन सबके लिए धन राशि उपलब्ध करवाना असंभव होगा ।

4. परंतु मैं अपने संकल्प पर अडिग रहा।

5. मैंने पूरे दो माह कुल 8 बजट पूर्व परामर्श सत्र आयोजित किए। गुरुग्राम में 8 जनवरी को सेवा क्षेत्र तथा भू–संपदा क्षेत्र, 14 जनवरी को पानीपत में विनिर्माण एवं कपड़ा क्षेत्र, 15 जनवरी को फरीदाबाद में विनिर्माण क्षेत्र तथा 16 जनवरी को हिसार में कृषि क्षेत्र के परामर्श सत्रों में 101 संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कुल 215 सुझाव दिए। 7 फरवरी को चण्डीगढ़ में हरियाणा के विभिन्न महिला समूहों और संगठनों की 21 प्रतिनिधियों ने मुझे 66 सुझाव दिये तथा 10 फरवरी को नई दिल्ली में प्रदेश के सांसदों ने मुझसे 17 सुझाव सांझे किए। सर्वाधिक 620 सुझाव मुझे इस गरिमामयी सदन के विधायकों ने पंचकूला में चले तीन दिवसीय सत्र में दिए। इनके अतिरिक्त, बीसियों सुझाव मुझे लिखित रूप में पत्रों तथा ज्ञापनों के माध्यम से भी प्राप्त हुए।

6. यह ठीक है कि कुछ सुझाव एक जैसे थे और कई सरकार के सामान्य काम–काज के बारे में थे। कुल मिलाकर लगभग 300 से भी अधिक अलग–अलग सुझाव सीधे–सीधे बजट के बारे में थे। इस सदन के सभी विधायक विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं कि उन सबने मेरा मंतव्य समझा और अपने–अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं तक सीमित न रहकर राज्यव्यापी योजनाओं की कमियों और नई योजनाओं की आवश्यकता बारे भी मुझे अपने सुझाव दिये।

7. मैंने हर सुझाव पर मनन किया और मुझे खुशी है कि जो बजट मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसमें 70 प्रतिशत से भी अधिक सुझावों के लिए मैं प्रावधान कर पाया हूँ। मेरे हर्ष का एक बड़ा कारण यह भी है कि अक्तूबर, 2019 के जनादेश से बनी हमारी सरकार के इस प्रथम बजट के माध्यम से दोनों सत्तारूढ़ दलों के संकल्प पत्रों के अधिकांश वादों का क्रियान्वन शुरू हो जाएगा तथा कई और पूरे हो जाएंगे।

8. अध्यक्ष महोदय, अपने प्रथम बजट को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मेरे गर्व का पहला कारण है कि मैं इसमें विभिन्न विभागों की सभी योजनाओं के लिए धन राशि का आवंटन इस प्रकार कर पाया हूँ, जिससे हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेतों, फैक्टरियों और दुकानों की तरफ काम पर जाने वाला हर मेहनतकश आम हरियाणवी अपने जीवन को सुगम होता और अपनी आय को बढ़ता हुआ पाएगा। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़ते समय सभी हरियाणवी आश्वस्त होंगे कि उनके बच्चों को वहां अच्छी शिक्षा मिलेगी। अपने निकट संबंधियों का हाल पूछने के लिए किसी भी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जाने वाला हर हरियाणवी निश्चिंत होगा कि वहां उसे सर्वोत्तम चिकित्सा मिलेगी। हर हरियाणवी परिवार अपने को खुशहाल होता और अपने सभी युवा सदस्यों को या तो रोजगार में लगा या रोजगार के लिए हुनर हासिल करता देखेगा। राष्ट्र की सीमाओं पर प्रहरी के रूप में खड़े हमारे सैनिक और अर्ध–सैनिक बलों का हर हरियाणवी जवान आश्वस्त होगा कि उसके परिवार की सुरक्षा तथा कल्याण की ओर प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान है। हर भारतीय और विदेशी निवेशक हरियाणा में निवेश करने को उत्सुक होगा। मेरा विश्वास है कि इसके फलस्वरूप, हम सब हरियाणा प्रदेश के भविष्य को निरन्तर समृद्ध एवं सशक्त बनता हुआ अनुभव करेंगे ।

9. मैं गर्वित हूँ कि जन मानस के इस स्वप्न को यथार्थ बनाने के लिए इस बजट में तमाम प्रावधान करते हुए मैंने कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम् के प्रथम सर्ग के 18वें श्लोक में वर्णित कर व्यवस्था :

"प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत् ।

सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविरू।।"

का भी पालन किया है। इस श्लोक का अर्थ है कि जैसे सूर्य हजार गुना पानी बरसाने के लिए ही पृथ्वी के जल का बहुत कम भाग लेता है, वैसे ही सूर्यवंशी शासक भी अपनी प्रजा के हित के लिए ही प्रजा से बहुत कम मात्रा में कर लिया करते थे। मेरे लिए भी ऐसा करना संभव हुआ, इसके लिए मैं हर उस व्यक्ति, संस्था और संगठन का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे खुलकर अपने सुझाव दिए ।

10. इससे पहले कि मैं सभी बजट प्रस्तावों को आपके समक्ष रखूँ, राज्य की अर्थव्यवस्था और राजकोषीय स्थिति के अब तक के प्रदर्शन पर हमें एक नज़र अवश्य डालनी चाहिए।

अर्थव्यवस्था का आकार एवं वृद्धि

11. आर्थिक सर्वेक्षण के आँकड़े सदन के पटल पर रखे गए हैं। इनके अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019–20 में भारतवर्ष का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जी.डी.पी. वर्तमान मूल्यों पर 204.42 लाख करोड़ रुपये और हरियाणा की जी.एस.डी.पी. 8.32 लाख करोड़ रुपये रहेगी। इसका अर्थ है कि देश के क्षेत्रफल का 1.34% और जनसंख्या का 2.09% होने के बावजूद आज देश की जी.डी.पी. में हरियाणा का 4.07% योगदान है। इसी प्रकार, वर्ष 2019–20 के दौरान स्थिर मूल्यों पर भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5% जबकि हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर 7.75% रहेगी। यह गर्व की बात है कि हमारा यह छोटा–सा प्रदेश आज भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के विकास का एक बड़ा इंजन सिद्ध हो रहा है।

12. अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले जानते हैं कि जी.डी.पी. को जनसंख्या से विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। यह और भी गर्व की बात है कि वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय में 35.49% की वृद्धि हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018–19 में स्थिर मूल्यों पर 1,69,409 रुपये की तुलना में वर्ष 2019–20

में बढ़कर 1,80,026 रुपये होने का अनुमान है, जोकि 6.3% की वृद्धि दर्शाती है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2019–20 में वर्तमान मूल्यों पर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2,64,207 रुपये अनुमानित है जोकि 1,35,050 रुपये की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय से लगभग दुगुनी है।

राजकोषीय स्थिति

13. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकोष अर्थात सरकारी खजाना जनता की गाढ़ी मेहनत की कमाई पर लगे टैक्सों से भरता है। इसलिए इसकी पाई–पाई को जनहित में खर्च करना और पूरी जिम्मेदारी से इसकी फिजूलखर्ची पर रोक लगाना किसी भी निर्वाचित सरकार का परम धर्म होता है। आय और व्यय को संतुलित रखने का कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक 2 के 7वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी एक सिद्धांत है:

"व्युष्ट देशकाल मुखानुवर्तन रूप लक्षण परिमाण निक्षेप भाजनगो पायकैश्च नीवीं समानयेत्"

सरल भाषा में इस सिद्धांत का भावार्थ है कि शासक को निर्धारित तिथियों पर राजकोष में होने वाली विभिन्न प्राप्तियों तथा व्ययों का संकलन करके शेष धन का मिलान करते रहना चाहिए।

14. आधुनिक अर्थशास्त्र में इस संबंध में 2 बड़े मानक होते हैं : राजकोषीय घाटे और ऋण का जी.डी.पी. से अनुपात। गर्व की बात है कि हम राजकोषीय घाटे को चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जी.डी.पी. की 3% की सीमा के अंदर रखने में सफल हुये। वर्ष 2017–18 में हमारा राजकोषीय घाटा राज्य की जी.डी.पी. का 2.62% था। वर्ष 2018–19 में यह उदय के बिना 2.69% तथा उदय के साथ 2.98% रहा। संशोधित अनुमान 2019–20 के अनुसार, यह उदय के साथ 2.82% और उदय के बिना 2.56% रहेगा।

15. हमारा कुल ऋण भी जी.एस.डी.पी. की 25% की निर्धारित सीमा के अन्दर रहा है। वर्ष 2018–19 में उदय के बिना यह 17.82% था, संशोधित अनुमान 2019–20 में यह 18.14% अनुमानित है। उदय के साथ यह अनुपात 2018–19 में 21.36% था और संशोधित अनुमान 2019–20 में 21.26% अनुमानित है।

16. इन दो मुख्य मानकों के पालन के अतिरिक्त हम राजस्व घाटे को कम करने में भी सफल हुए हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2016–17 में राजस्व घाटा, जीएसडीपी का 2.83% था, वर्ष 2017–18 में यह 1.63% था तथा 2018–19 में 1.54% था। सर्वविदित है कि प्रभावी राजस्व घाटा एक और भी बेहतर राजकोषीय संकेतक है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता। वर्ष 2016–17 में प्रभावी राजस्व घाटा 2.81% था, जो वर्ष 2018–19 में 1.01% रह गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर अधिक बल दिया है।

17. माननीय अध्यक्ष महोदय, सब जानते हैं कि सरकारी खजाने से हुआ कोई भी खर्च या तो पूंजीगत व्यय होता है या राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय अर्थात् Capital Expenditure का आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यह बहुत हर्ष की बात है कि वर्ष 2016–17 के 16653.84 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की तुलना में वर्ष 2018–19 में हमने पूंजीगत व्यय को दुगुना यानि 33246.11 करोड़ रुपये कर दिया।

18. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग हमारे आर्थिक ताने–बाने के महत्वपूर्ण घटक हैं। पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य नहीं होता, परंतु इनसे आशा की जाती है कि इनके अच्छे परिणाम हों।

19. इन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में सरकारी खजाने से कुल निवेश वर्ष 2014–15 के 9141.10 करोड़ रुपये से 218% बढ़कर वर्ष 2018–19 में 29130.58 करोड़ रुपये हो गया। मैं कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से उन 19 उपक्रमों के प्रंबधन और कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने वर्ष 2018–19 में 1704.09 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। गौरतलब है कि वर्ष 2014–15 में केवल 13 उपक्रम शुद्ध लाभ की स्थिति में थे। इसी प्रकार, वर्ष 2014–15 में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उपक्रम घाटे में थे, जबकि 2018–19 में इनकी संख्या घटकर केवल 4 रह गई। इसी अवधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सकल घाटा 2213.83 करोड़ रुपये से घटकर केवल 52.09 करोड़ रुपये रह गया।

20. सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के 19 उपक्रमों ने भी सुधार के लक्षण दर्शाए हैं। इनमें से लाभ कमाने वाले उपक्रमों की संख्या 2014–15 में छः से बढ़कर 2018–19 में सात हो गई और इस दौरान उनका लाभ 40.61 करोड़ रुपये से बढ़कर 93.08 करोड़ रुपये हो गया।

21. अध्यक्ष महोदय, 18 फरवरी को जब हम विधायकों के बजट पूर्व परामर्श सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत कर रहे थे तो उस दिन महर्षि स्वामी दयानंद की 197वीं जयंती होने के कारण हमने उनके जीवन मूल्यों पर भी मनन किया था। हम सबने माना था कि उनके दिखाए मार्ग पर चलने का अर्थ है कि हम अच्छी परम्पराओं की रक्षा करें, बुरी परम्पराओं को तोड़ने में न झिझकें और नई परम्पराओं को शुरू करने का साहस भी रखें।

22. जहां हमने बजट पूर्व व्यापक विचार–विमर्श की एक नई परम्परा की शुरुआत की है, वहीं राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी. के 3% और ऋण को 25% की सीमाओं में रखने की परम्पराओं का पालन किया है। अब जो बजट मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें वर्ष 2020–21 में राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. का 2.73% रखने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में हमारा राजस्व घाटा 1.64% तथा प्रभावी राजस्व घाटा 0.75% रहने का अनुमान है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले 5 वर्षों में प्रभावी राजस्व घाटे को शून्य पर लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

23. अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमने कुछ परम्पराओं को तोड़ा भी है। सभी विभाग अक्सर अपनी स्कीमों को अपनी संतान प्रायः मान लेते हैं। वे किसी भी स्कीम को बंद नहीं होने देना चाहते। मैंने सभी विधायकों से आग्रह किया था कि वे अनुपयोगी योजनाओं के बारे में मुझे बताएं। मुझे खुशी है कि इस बजट में हमने 132 योजनाओं का 46 योजनाओं में विलय कर दिया है, 18 योजनाओं को समाप्त कर दिया है और 6 योजनाओं का अन्य विभागों में समावेश किया है। यह एक सतत प्रक्रिया रहेगी और आने वाले दिनों में योजनाओं का और अधिक युक्तिकरण किया जाएगा।

24. इसके अतिरिक्त एक और परम्परा है कि इस सदन द्वारा पारित बजट पर वित्त विभाग द्वारा त्रैमासिक व्यय सीमा लगाई जाती है। मैंने वर्ष 2020–21 से कई महत्वपूर्ण योजनाओं जो, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों, महिला कल्याण तथा कृषि, मत्स्य पालन, बागवानी और सिंचाई से सम्बन्धित हैं,

उनसे त्रैमासिक व्यय सीमा हटाने का निर्णय लिया है। ऐसा करने से इनके लिए वर्ष भर निर्बाध रूप से धन मिलता रहेगा।

25. हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोषीय स्थिति के उपरोक्त संक्षिप्त चित्रण से यह स्पष्ट है कि यदि हम राजकोषीय अनुशासन तथा सुधारों के मार्ग पर इसी प्रकार चलते रहे तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर 5 ट्रिलियन डालर करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में हरियाणा का अत्यंत विलक्षण एवं प्रभावी योगदान रहेगा, जिसे राष्ट्र के आर्थिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे विश्वास है कि आज का राज्य बजट इस मार्ग को सुगम एवं प्रशस्त करेगा।

26. अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट प्रस्तावों पर आता हूँ। एक प्रथा रही है कि विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार और फिर प्रत्येक क्षेत्र में विभागवार पढ़ा जाता है। मैं इसी के अनुरूप ही सारे आवंटन आपके समक्ष रखूंगा। वित्त मंत्री के हाथ में सारा राजकोष होता है और उसका आवंटन वे अपनी इच्छानुसार करते हैं। सिर्फ एक और व्यक्ति के बारे में वे चिंतित रहते हैं कि कहीं कुछ बुरा ना मान लें। आप जानते हैं कि वह व्यक्ति होता है CM। चूंकि संयोग से इस बार मैं CM भी हूँ और FM भी, तो आप को लग सकता है कि मुझ पर यह बन्धन नहीं था। परन्तु सत्य यह है कि बजट के बनाने के दौरान पूरे समय मेरे सामने भी एक CM का ख्याल था। वह CM मैं नहीं वरन् एक ऐसा CM है जिसकी सेवा और सुख–समृद्धि का ध्यान हम सभी को भी रहता है। यह CM है Common Man।

27. इसलिए जब मैंने बजट पूर्व परामर्श में प्राप्त हुए सुझावों पर मनन किया तो क्षेत्रीय एवं विभागीय सोच से ऊपर उठकर आम हरियाणवी के लिए चार मुख्य लक्ष्यों को निरन्तर ध्यान में रखा। ये चार लक्ष्य एक प्रकार से वे चार स्तम्भ हैं, जिन पर पूरा बजट बना है। वे चार लक्ष्य हैं :

शिक्षा – शिशुओं, किशोरों, युवकों सभी को अत्याधुनिक एवं गुणवत्तापरक शिक्षा

स्वास्थ्य– नवजात से लेकर वयोवृद्ध तक सभी के लिए सहज, सुगम एवं सर्वोतम स्वास्थ्य सुविधाएं

सुरक्षा – हर व्यक्ति और वर्ग की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा।

स्वावलंबन– हर व्यक्ति, संस्था, समूह और संगठन का स्वावलंबन।

मेरा आप से अनुरोध है कि हर क्षेत्र में हर विभाग के बजट प्रस्तावों को समझते समय इन चारों स्तंम्भों को अवश्य ध्यान में रखें।

28. तो आइए, वर्ष 2020–21 के हरियाणा सरकार के बजट में मेरे द्वारा किए गए कुल 1,42,343.78 करोड़ रुपये के प्रावधानों तथा अन्य प्रस्तावों की प्रस्तुति के ठीक पूर्व एक बार हम सब मिलकर श्वेताश्वेतरोपनिषद से एक शांति मंत्र का पाठ करते हैं :

"ऊं सहनाववतु

सहनौ भुनक्तु

सह वीर्यं करवावहै ।

तेजस्विनावधीतमस्तु

मा विद्विषावहै।"

29. आप जानते है कि "सह वीर्यं करवा वहै" का अर्थ है" कि "हम मिलकर परिश्रम करें।" और "तेजस्विनावधीतमस्तु" का अर्थ है कि "हमारे परिश्रम की वस्तु तेजस्वी हो"। इस बजट को बनाने में हमने मिलकर परिश्रम किया, इसीलिये आज का यह बजट तेजस्वी हो पाया है। ऊँ।

कृषि और किसान कल्याण

30. माननीय अध्यक्ष महोदय! हमारी सरकार कृषि को भविष्योन्मुखी बनाने तथा किसान की आय को दुगुनी करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति कृत–संकल्प है। इसके लिए अधिक से अधिक मात्रा में फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के प्रयास किए जा रहे हैं। "मेरी फसल–मेरा ब्यौरा" के ई–खरीद पोर्टल पर किसानों के पूर्व–पंजीकरण की प्रक्रिया अब काफी प्रचलित हो गई है। राज्य में कृषि उत्पादन के विपणन के लिए सिस्टम लिंकेज को सुचारू, पारदर्शी और किसान–हितैषी बनाने के उद्देश्य से 54 मंडियों को ई–नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) योजना के साथ भी जोड़ा गया है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पिंजौर में सेब मंडी, गुरुग्राम में फूल मंडी और सोनीपत में मसाला मंडी जैसी वस्तु विशिष्ट मंडियां विकसित की जा रही हैं।

31. किसानों के जोखिम को कम करने तथा उन्हें नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत, पिछले तीन वर्षों में किसानों को क्लेम के रूप में 2097.94 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है, जो बीमा कम्पनियों को अदा किए गए 1672.99 करोड़ रुपये के प्रीमियम से काफी अधिक है। प्रसन्नता की बात यह है कि केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए अब इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया है। राज्य को योजना के क्रियान्वयन में बढ़ाए गए अधिकार से यह योजना और अधिक कारगर सिद्ध होगी। वर्ष 2020–21 से हमारी सरकार कृषि व किसान कल्याण विभाग के प्रत्येक खण्ड कार्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ताकि किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योज़ना से सम्बन्धित सभी कार्य ब्लॉक स्तर पर ही पूरे हो सकें। हम ''प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना'' को भविष्य में ट्रस्ट मॉडल की रूपरेखा पर चलाने के बारे में भी गंभीरता से विचार करेंगे। हमने 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' के तहत भी किसानों के फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान करने का प्रावधान किया है।

32. भारत सरकार द्वारा भूजल प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियों में सुधार लाने के उद्देश्य से "अटल भूजल योजना" के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। भूजल प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियां क्रियान्वित करने के लिए राज्य द्वारा पानी की कमी वाले 36 खण्डों की पहचान की गई है। साथ ही, इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए शीघ्र ही एक नया कानूनी ढांचा भी बनाया जाएगा।

33. किसानों को फसलों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमने "भावान्तर भरपाई योजना" के नाम से एक योजना शुरू की है। इसमें 10 सब्जियों नामतः टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, गाजर, मटर, बैंगन, अमरूद, शिमला मिर्च, किन्नू तथा तीन फसलों नामतः सरसों, बाजरा और सूरजमुखी को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 360477 किसानों को लगभग 309.53 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है।

34. रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग रोकने के लिए सरकार ने 2015–17 के दौरान पहले चरण में 45.21 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड और 2017–19 के दौरान दूसरे चरण में लगभग 36.36 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी

किए हैं। राज्य की सभी मंडियों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लक्ष्य पर चलते हुए 2019–20 में विभिन्न सरकारी भवनों व मंडियों में कुल 111 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। अब सॉयल हैल्थ कार्ड को "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। सॉयल हैल्थ कार्ड में दी गई सिफारिश के आधार पर जिन किसानों द्वारा फसल की बिजाई की जाएगी, उन्हें 50 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

35. राज्य में लवणीय व जलभराव वाली भूमि के सुधार के लिए एक कार्यक्रम वर्ष 1994–95 में शुरू किया गया था। परन्तु आज तक केवल 28,100 एकड़ भूमि सुधारी गई है। प्रदेश में लगभग 11 लाख एकड़ भूमि लवणीय व जलभराव की समस्या से प्रभावित है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2020–21 में इस समस्या से ग्रस्त 1 लाख एकड़ भूमि को सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए इस कार्य को मिशन मोड में पीपीपी के तहत बढ़ावा दिया जाएगा।

36. पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत सरकार ने नई कृषि पद्धतियों और मशीनरी के माध्यम से फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। 1637 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से इस वर्ष 5225 किसानों को रियायती दरों पर कृषि मशीनरी प्रदान की गई। किसानों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। वर्ष 2018–19 की तुलना में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 35.32 प्रतिशत की कमी आई है। अब राज्य सरकार ने खेत में फसल अवशेषों का प्रबंधन करने वाले किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है।

37. मैंने कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2020–21 में उठाए जाने वाले जिन नए महत्वपूर्ण कदमों के लिए बजट प्रावधान किया है, उनमें से केवल 12 के बारे में मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा। ये इस प्रकार हैं :–

(i) सतत कृषि विकास (Sustainable Agriculture) के लिए राज्य में जैविक व प्राकृतिक खेती का क्षेत्र बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अगले महीने अल्प बजट प्राकृतिक खेती पर आयोजित की जा रही एक राज्यस्तरीय कार्यशाला में राज्य भर के प्रगतिशील किसानों से विस्तृत चर्चा उपरान्त एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। अगले

तीन वर्ष में एक लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक व प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) हरियाणा की सभी बड़ी मण्डियों में क्रॉप ड्रायर (Crop Dryer) लगाए जाएंगे ताकि किसानों को फसल उत्पाद सुखाने में कोई परेशानी न आए एवं उनको फसलों का पूरा भाव बिना किसी कट के मिल सके।

(iii) हरियाणा की सभी सब्जी मण्डियों में महिला किसानों के लिए अलग से 10% स्थान आरक्षित किया जाएगा।

(iv) महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सैल की स्थापना की जाएगी।

(v) गोदामों में चोरी की समस्या को रोकने के लिए, राज्य के भण्डारण निगम, हैफेड, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इत्यादि के सभी गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस वर्ष 52 गोदामों में कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शेष गोदामों को अगले चरणों में लिया जाएगा।

(vi) जिन प्रगतिशील किसानों ने फसल विविधिकरण को अपनाया है, उन्हें Master Trainer के रूप में चयनित किया जाएगा। इन Master Trainers को दूसरे किसानों को फसल विविधिकरण के लिए सफलतापूर्वक प्रोत्साहित करने पर पुरस्कृत किया जाएगा।

(vii) इस समय ब्याज मुक्त ऋण सुविधा केवल सहकारी संस्थाओं से लिए गये ऋणों पर उपलब्ध है और इसकी सीमा 1.5 लाख रुपये है। अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ब्याज रहित ऋणों की सुविधा उन किसानों को भी मिलेगी जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक से प्रति एकड़ 60 हजार रुपये तक का, अधिकतम 3 लाख रुपये तक का फसली ऋण लेते हैं। इस सुविधा के लिए तीन शर्तें होंगी :–

पहली–किसान निर्धारित समय पर ऋण की अदायगी करे, दूसरी–किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर लिए गये सभी सहकारी ऋणों को घोषित करे और तीसरी–यह कि फसल के खरीद मूल्य में से ऋण की सीमा तक की अदायगी खरीद एजेंसी

द्वारा सीधे उस संस्था के खाते में जमा करवाई जाएगी, जिससे किसान ने ऋण लिया हुआ है।

(viii) एक किसान दूसरे किसानों के कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, कंबाइन हारवेस्टर इत्यादि का उपयोग कर सके, इसके लिए किसान कल्याण प्राधिकरण द्वारा एक मोबाइल ऐप बनाई जाएगी।

(ix) हरियाणा के विद्यालयों और महाविद्यालयों के विज्ञान के विद्यार्थियों को मिट्टी व जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि यदि वे चाहें तो अपने प्राध्यापक की देख–रेख में मिट्टी व जल परीक्षण का काम एक प्रमाणित व्यवसायी के रूप में कर सके।

(x) एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन स्कीम के अन्तर्गत विभाग द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी पात्र छोटे व सीमान्त किसानों को मशीनों व कृषि यन्त्रों पर अनुदान वर्ष 2021–22 तक बिना लाटरी के उपलब्ध हो। साथ ही, कृषि उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे कृषि उपकरणों के निर्माताओं को भी सब्सिडी दी जाएगी।

(xi) फसल अवशेषों के स्थल पर तथा दूसरे स्थान पर प्रबंधन हेतु एक व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है। इसके तहत सभी प्रभावित जिलों के हर ब्लॉक में पराली खरीद केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

(xii) हमारे कई किसान भाई खेतों से जुड़ी हुई कई आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं। जिनके लिए उन्हें बिजली विभाग को 7.50 रुपये प्रति यूनिट बिल देना पड़ता है। हमने निर्णय किया है कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को आदेश देकर "विशेष कृषि आधारित गतिविधियों" के नाम से एक नई कैटेगरी बनवाई जाएगी, जिसमें 7.50 रुपये प्रति यूनिट की बजाय 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। इस कैटेगरी में पैक हाउस, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रीकूलिंग तथा राइपनिंग चैबंर, मधुमक्खी पालन, शहद प्रसंस्करण, टिशू कल्चर, झींगा एवं मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, बल्क दूध शीतकरण तथा FPO द्वारा स्थापित 20 किलोवाट लोड

तक के कोल्ड स्टोर आदि शामिल होंगे। ऐसे हजारों किसानों का अब बिजली का बिल 2.75 रूपये प्रति यूनिट कम हो जाएगा।

बागवानी

38. अध्यक्ष महोदय ! प्रदेश में बागवानी के तहत वर्तमान के 8.17 प्रतिशत क्षेत्र को वर्ष 2030 तक दोगुना और बागवानी उत्पादन को बढ़ाकर तीन गुणा करने का हमारा लक्ष्य है। इसे और भी जल्दी पूरा करने के लिए मैंने बजट में कई नए प्रावधान किये हैं।

39. बागवानी में प्रदर्शनकारी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सतत उत्पादन के लिए, दो और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से एक शुष्क भूमि बागवानी के लिए और दूसरा कटाई उपरान्त प्रबंधन के लिए है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फसल समूह विकास कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके अलावा, किसानों की उपज के बेहतर संग्रह और प्रत्यक्ष विपणन के लिए 75581 किसानों की सदस्यता वाले 409 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया गया है। वर्ष 2022 तक 1000 और नए किसान उत्पादक संगठन बनाये जाएंगे।

40. बागवानी विभाग ने अम्बाला, यमुनानगर और पंचकूला में हल्दी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक उपज वाली हल्दी की किस्मों की पहचान की है। हम वर्ष 2020—21 में किसान उत्पादक सगठनों को भी प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। टमाटर, प्याज, आलू, किन्नू, अमरूद, मशरूम, स्ट्राबेरी, अदरक, गोभी, मिर्च, बेबीकॉर्न, स्वीटकॉर्न की प्रोसेसिंग के लिए राज्य भर में चिन्हित फसल समूहों में बीसियों नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

41. वर्ष 2020—21 में किन्नू, अमरूद एवं आम के बागों के स्थापना खर्च के अनुदान को 16,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाएगा।

42. हम रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए खाद्य सामग्री को पैकिंग व ब्रांडिंग के साथ बिक्री हेतु वीटा एवं हैफेड की तर्ज पर राज्य भर में चिन्हित स्थानों पर 2000 आधुनिक बिक्री केन्द्र स्थापित करेंगे। इस काम को और बढ़ाने के लिए शीघ्र ही एक अलग संस्था भी खड़ी की जाएगी।

पशुपालन एवं डेयरी

43. माननीय अध्यक्ष महोदय! हरियाणा का देश के पशुधन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान है। पशुपालन गतिविधियां आय और रोजगार सृजन में अपना योगदान देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य में पशुपालन एवं डेयरी विभाग 2883 पशु चिकित्सा संस्थाओं के आधारभूत ढांचे के माध्यम से 89.98 लाख पशुधन को पशु चिकित्सा व पशु प्रजनन सुविधाएं प्रदान करवा रहा है।

44. हमने राज्य में गाय और भैसों को मुँह–खुर व गलघोटू रोग से मुक्त बनाने के लिए संयुक्त वैक्सीन प्रयोग करके सफलतापूर्वक कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप पिछले एक साल से इन बीमारियों का कोई मामला सामने नहीं आया है।

45. "पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा बीमा योजना" के तहत 2.20 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। हरियाणा पहला राज्य है जिसने पशुओं के कल्याण और आनुवांशिक सुधार तथा पशु प्रजनन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए "हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणन और प्रजनन) अधिनियम, 2019" लागू किया है।

46. राज्य के पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान की बेहतर सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए "राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम" राज्य के पांच जिलो में दिनांक 16.09.2019 से शुरू किया है और इसके अंतर्गत अब तक 76,000 कृत्रिम गर्भाधान किये जा चुके हैं।

47. हमारी सरकार बेसहारा पशुओं विशेष तौर पर विदेशी एवं संकर नसल के सांडो के खतरे से निपटने के लिए भी दृढ़ संकल्पित है। राज्य की गायों में कृत्रिम गर्भाधान हेतु सभी पशु संस्थाओं में सैक्स सोर्टिड सीमन उपलब्ध है जिससे 85–90 प्रतिशत मादा बच्चे ही पैदा होने की सम्भावना होती है। यह सैक्स सोर्टिड सीमन 850 रुपये प्रति स्ट्रा की दर से खरीदा गया है। वर्तमान में इसे पशुपालकों को 500 रुपये की दर से दिया जाता है। हमारी सरकार ने वर्ष 2020–21 में इस राशि को कम करके पशुपालकों को मात्र 200 रुपये प्रति स्ट्रा की रियायती दर पर प्रदान करने का फैसला लिया है।

48. बुनियादी ढांचे के विकास हेतु नाबार्ड की योजना के अंतर्गत 52 राजकीय पशु चिकित्सालयों व 115 राजकीय पशुधन औषधालयों के भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

49. वर्ष 2020–21 से 'पशु संजीवनी सेवा' के माध्यम से पशु स्वास्थ्य सेवायें पशुपालक के घर द्वार पर उपलब्ध करवाने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां भी आरम्भ की जाएंगी।

50. मैंने राज्य की गौशालाओं में बेसहारा पशुओं के नियंत्रण व आश्रय प्रदान करने के लिए प्रावधान को 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया है। यह राशि अब सरकार गौसेवा आयोग की संस्तुति पर उन गौशालाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी जो उस गौशाला की कुल गौवंश संख्या में से न्यूनतम एक–तिहाई भाग बेसहारा पशुओं को रखेगी। वर्ष 2020–21 से पशुपालन एवं डेयरी विभाग बेसहारा और घायल पशुओं को पहचान करके उन्हें पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के बाद ऐसे पशुओं को गौशालाओं में पुर्नवासित करवाएगा। साथ ही जिन गौशालाओं में बेसहारा पशुओं के आवास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, उनको विकास एवं पंचायत विभाग गौचरान्द भूमि प्रदान करेगा।

मत्स्य पालन

51. मेरा मानना है कि मत्स्य पालन किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए हमने मत्स्य पालन के तहत क्षेत्र को वर्ष 2020–21 में 55,000 एकड़ करने तथा मत्स्य उत्पादन 2.60 लाख मीट्रिक टन का करने लक्ष्य रखा है।

52. वर्ष 2020–21 में, खारे पानी के मत्स्य फार्म के तहत जल क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा और 2 बड़े पेल्लेट फीड मिल प्लांट और 10 छोटे फीड मिल प्लांट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, प्रदेश में पहली बार 250–250 एकड़ क्षेत्रों में कैट फिश तथा पिलापिया कल्चर शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, गहन मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत मत्स्य पालन के लिए सामुदायिक भूमि की खुदाई भी की जाएगी।

53. हमने खारे पानी मे झींगा पालन व जल भराव वाले क्षेत्रों में मछली पालन को बहुत बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2020–21 में झींगा किसानों के लिए एक Prawn Chilling and Processing Centre बनाया जाएगा एवं किसानों को कोल्ड चेन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस

प्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू बाजार में किसान अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

54. पंचकूला में टिक्कर ताल तथा यमुनानगर, करनाल और पानीपत में पश्चिमी यमुना नहर जैसे प्राकृतिक जलाशयों में घटती मछली प्रजातियों के संरक्षण से प्राकृतिक मछलियों के संरक्षण और संवर्धन पर बल दिया जाएगा। अभी 2 राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म तथा 13 राजकीय मत्स्य बीज फार्म नवीनतम तकनीकी के माध्यम से उत्तम किस्म का मछली बीज तैयार करके मत्स्य पालकों को न्यूनतम दरों पर उपलब्ध करवा रहे हैं। आगामी वित्त वर्ष मे तीन मत्स्य बीज फार्मों का ढांचागत सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा तथा परम्परागत मछली पालन प्रजातियों से हटकर नई कैटफिश प्रजातियों का पालन आरम्भ किया जाएगा।

55. जिला जींद, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, पलवल, नूंह, हिसार, फतेहाबाद तथा फरीदाबाद के जल भराव वाले क्षेत्र में मत्स्य पालन करवाने के लिए हम प्रयासरत है। मैंने आगामी वित्त वर्ष मे लगभग 2500 एकड़ जलमग्न क्षेत्र को मत्स्य पालन के अधीन लाने के लिए बजट प्रावधान किया है।

56. मैं कृषि एवं किसान कल्याण गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2020–21 में 6481.48 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि बजट अनुमान 2019–20 के 5230.54 करोड़ रूपये की तुलना में 23.92 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 3364.90 करोड़ रूपये पशुपालन के लिए 1157.41 करोड़ रूपये, बागबानी के लिए 492.82 करोड़ रूपये, और मत्स्य पालन के लिए 122.42 करोड़ रूपये का परिव्यय शामिल है।

सहकारिता

57. यह सर्वविदित है कि हरियाणा के जो किसान फसली ऋण के मूलधन की अदायगी समय पर करते हैं, उन्हें बिना किसी ब्याज के प्रदान किये जा रहे हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान लगभग पांच लाख ऐसे किसानों को 127. 88 करोड़ रुपये की ब्याज में राहत दी गई है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से लिए ऋण की 1990 के बाद से अदायगी न करने के कारण लाखों किसान बकायेदार हो गये थे। उन्हें राहत देते हुए पहली सितम्बर, 2019 से एकमुश्त निपटान योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों

के लगभग 8.50 लाख अतिदेय ऋणी सदस्यों में से लगभग 4.14 लाख सदस्यों ने 31.01.2020 तक 858.77 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्राप्त की है तथा 3214.05 करोड़ रूपये के अतिदेय ऋणों में से 1281.76 करोड़ रूपये के अतिदेय ऋणों की वसूली की गई।

58. इसी प्रकार जिला केन्द्रीय सहकारी बैकों के कुल 31,749 पात्र ऋणियों में से 7634 ऋणी सदस्यों ने 31 जनवरी, 2020 तक लगभग 497.40 करोड़ रुपये की ब्याज राशि का लाभ प्राप्त किया है और 608.33 करोड़ रुपये के अतिदेय ऋणों में से 165.80 करोड़ रुपये की वसूली की गई। इस योजना का लाभ उठाने से अब तक वंचित रह गए ऋणियों को एक और मौका दिया जाएगा।

59. माननीय अध्यक्ष महोदय! हरियाणा द्वारा गन्ना किसानों को 340 रुपये प्रति क्विंटल की दर से देश में उच्चतम लाभप्रद मूल्य का भुगतान किया जाता है। सरकार ने 355 करोड़ रुपये की लागत से सहकारी चीनी मिल, पानीपत और 263 करोड़ की लागत से सहकारी चीनी मिल, करनाल के विस्तार और आधुनिकीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए शाहबाद सहकारी चीनी मिल में 99 करोड़ रुपये की लागत से 60 किलो लीटर प्रति दिन की क्षमता के एथेनॉल संयंत्र की स्थापना भी की गई है।

60. हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2020–21 में गाय के दूध की आपूर्ति करने वाले सहकारी दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाली सब्सिडी को 4 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा, जोकि भैंस के दूध पर दी जाने वाली सब्सिडी के बराबर होगी। यह सब्सिडी ग्रीष्मकालीन महीनों में अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दी जाएगी, जिसके लिए 30.43 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

61. सरकार 9.60 करोड़ रुपये की लागत से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के स्तर पर बल्क मिल्क कूलर के माध्यम से दूध की शीतकरण सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।

62. प्रदेश का पहला सहकारी टेट्रा–पैक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ताकि तरल दूध, फलों के रस और फरमेंटिड दुग्ध उत्पादों की आधुनिक पैकिंग की जा सके।

63. सहकारिता विभाग के लिए मैं बजट अनुमान 2020–21 के लिए 1343.94 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

शिक्षा

64. माननीय अध्यक्ष महोदय! इस बजट के माध्यम से आम आदमी के जीवन के चार लक्ष्यों में शिक्षा इसलिए पहला लक्ष्य है क्योंकि शिक्षा के बिना स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलम्बन भी हासिल करना कठिन है। प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ने कहा है:–

शिक्षा है सब काल कल्प–लतिका–सम न्यारी,

कामद, सरस महान, सुधा–सिंचित, अति प्यारी।

शिक्षा है वह धारा, बहा जिस पर रस–सोता,

शिक्षा है वह कला, कलित जिससे जग होता।

65. शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने तथा उत्कृष्ट परिणामों की प्राप्ति के लिए हम कृत संकल्प हैं। आधारभूत ढांचे में व्यापक सुधार और विस्तार के माध्यम से गुणवत्तापरक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने अनेक प्रावधान किये हैं।

66. मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत 5वीं कक्षा में न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए संचालित परीक्षा के आधार पर 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1500 रुपये से 6000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्तियां देने का मेरा प्रस्ताव है।

67. स्वच्छ भारत प्रांगण स्कीम के तहत स्वतंत्र परिसर वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में परिसर, अध्ययन–कक्षों व शौचालयों की सफाई, पेयजल का प्रबंध, पौधों को पानी देने व मुख्याध्यापक द्वारा दिए गए दूसरे कार्यों के लिए एक पूर्णकालिक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। विद्यालयों की प्रभावी ढंग से देखरेख के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से 500 विद्यार्थियों तक की संख्या वाले 3581 स्वतंत्र राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3793 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता और 500 से अधिक संख्या वाले विद्यालयों (प्रति विद्यालय दो कार्यकर्ता) में 212 कार्यकर्ता नियुक्त किये जाएंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता को 10000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा।

68. शैक्षणिक सत्र 2020–21 से 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' का विस्तार करते हुए इसमें 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक से कम आय वाले गरीब परिवारों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत इन विद्यार्थियों के लिए मुफ्त पाठय पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं वर्दी का प्रावधान किया गया है। इन विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2020–21 से विद्यालयों में किसी प्रकार की फीस व निधियां भी नहीं देनी होंगी।

69. प्रदेश के सभी शिशुओं और किशोरों को शिक्षा की अति आधुनिक सुविधाएं देने के लिए उठाये जाने वाले कुछ नए कदमों का मैं विशेष उल्लेख करूंगा। जो हैं :–

(i) शिक्षाविद जानते हैं कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु का समय बच्चे के संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अभी तक सरकारों द्वारा इस आयु वर्ग के छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ियों और इस आयु वर्ग से बड़े बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों का प्रावधान किया जाता रहा है। परन्तु इस आयु वर्ग की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए हमने वर्ष 2020–21 के बजट में तीन से पांच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए सरकार की ओर से 4000 प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया है।

(ii) राज्य में 500 नए क्रैच कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के लिए खोले जाएंगे।

(iii) इस समय राज्य में 22 आदर्श संस्कृति विद्यालय चल रहे हैं। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता व अधिगम परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 में 98 खण्डों में खण्डवार एक नया आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसी तरह से प्रदेश में वर्ष 2020–21 में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक बच्चों के लिए 119 राजकीय आदर्श संस्कृति विद्यालय उपलब्ध होंगे।

(iv) अभी प्रदेश में "बस्तामुक्त एवं अंग्रेज़ी माध्यम" के 418 प्राथमिक विद्यालय हैं। हमने ऐसे 1000 और विद्यालयों की स्थापना उन गांवों में करने का निर्णय लिया है, जहाँ अभी दो से अधिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं।

(v) उन सभी 1487 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, जहां पर विज्ञान संकाय उपलब्ध है, को वर्ष 2020–21 में स्मार्ट विद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा।

(vi) 'छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना' की तर्ज पर इन संकुल विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी छात्रों और छात्राओं को भी निःशुल्क यातायात सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

(vii) शैक्षणिक सत्र 2020–21 से विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर एवं अधिगम परिणामों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा प्रारम्भ की जाएगी।

(viii) 'मध्याह्न भोजन योजना' के तहत सप्ताह में एक दिन बेसन लड्डू/पिन्नी और सप्ताह में तीन दिन के बजाय अब बच्चों को प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा।

(ix) सभी विद्यालयों में इसी वर्ष चारदीवारी का निर्माण करवा दिया जाएगा। साथ ही, हर विद्यालय के गेट तक पक्का रास्ता भी बनवाया जाएगा।

(x) सभी सरकारी स्कूलों का सौंदर्यकरण करने एवं इन्हें आकर्षक बनाने हेतु उपयुक्त धनराशि का प्रावधान भी किया गया है।

(xi) "हरियाणा एक हरियाणवी एक" की भावना के संवर्धन हेतु "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की तर्ज़ पर हरियाणा के विभिन्न जिलों के आपस में युग्म बनाने तथा हर वर्ष कम से कम 4000 बच्चों को पारस्परिक आधार पर दूसरे जिलों की संस्कृति, विरासत तथा ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण हेतु एक नई स्कीम वर्ष 2020–21 से शुरू की जाएगी।

(xii) वर्ष 2020–21 में ही सभी राजकीय विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए R.O. से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से सौर पैनल भी हर विद्यालय में उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(xiii) जिन गांवों में उच्च विद्यालय या वरिष्ठ माध्यमिक उच्च विद्यालय नहीं है, वहां के 9वीं या 11वीं कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले अनुसुचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें प्रदान की जाएंगी।

उच्च शिक्षा

70. वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने तक हरियाणा में कुल 105 राजकीय महाविद्यालय थे, जिनमें से 31 महिला महाविद्यालय थे। महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए हमने एक नीति बनाई कि प्रत्येक 20 किलोमीटर के अंदर एक महाविद्यालय हो ताकि किसी भी छात्रा को 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी न तय करनी पड़े। इस नीति के अनुरूप हमारी सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक कुल 52 महाविद्यालय खोले जिनमें से 30 महाविद्यालय विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं। सरकार ने वर्ष 2019–20 में 8 नये राजकीय महाविद्यालय खोले हैं और इनके लिए सहायक प्राध्यापकों के 240 नये पद सृजित किये गए हैं। आगामी सत्र से 4 और राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। इस तरह राजकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 161 हो जाएगी। अगले वर्ष 18 और राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे।

71. हमारी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए महाविद्यालय में विज्ञान विषयों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बेहतर वैज्ञानिक स्वभाव वाले समाज का निर्माण हो और आजीविका के अधिक अवसर भी पैदा हों। विज्ञान को कृषि से जोड़ने के लिए हमारी सरकार सभी सरकारी महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निकों में मिट्टी परीक्षण को बढ़ावा देगी। अगले शैक्षणिक सत्र से दस और राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान के उभरते क्षेत्रों से संबंधित नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्ष 2020–21 में एक नई योजना में 10वीं कक्षा के बाद विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान के प्रोत्साहक भर्ती करने का प्रस्ताव रखा है, जो अपने–अपने कॉलेज के इलाके में उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों से बातचीत करके उन्हें उच्च शिक्षा में विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

72. भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों तथा विदेश में रोजगार के अवसरों से अवगत कराने हेतु महाविद्यालयों में एक नई महत्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्क बनाए जाएंगे।

73. आज डिजिटल रूप में अनंत ज्ञान और विश्वस्तरीय पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। डिजिटल पुस्तकालयों के माध्यम से गरीब से गरीब लोगों तक डिजिटल पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। ये डिजिटल पुस्तकालय सभी विद्यार्थियों के लिए मुफ्त होंगे।

74. विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कॉलेज में ही प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए सभी जानकारियां विद्यार्थियों के एडमिशन फॉर्म से ही ले ली जाएंगी।

75. हमारी सरकार प्रदेश में एक इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी शुरू करेगी। यह संस्थान विश्व भर में मान्य उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे Artificial Intelligence, Big Data Analysis, Additive Manufacturing, 3D Printing Cryptography इत्यादि के बारे में शिक्षा प्रदान करेगा। यह संस्थान प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा।

76. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी।

77. वर्तमान में हरियाणा के विभिन्न संस्थानों में 4.71 लाख लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। स्नातक स्तर तक की छात्राओं से कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। अब स्नातकोत्तर स्तर तक सभी संकायों में 1 लाख 80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों की छात्राओं से प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

78. हमारी सरकार महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी महाविद्यालयों में 24 घंटे निगरानी करने के लिए 2000 CCTV कैमरे लगाने के लिए बजट में प्रावधान किया है।

79. शिक्षा क्षेत्र के लिए हमने कुल बजट का लगभग 15 प्रतिशत आवंटन किया है, जोकि हरियाणा बनने के बाद से सर्वाधिक है। मुझे उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ने से निजी निवेश भी बढ़ेगा और हम शिक्षा पर जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे।

80. मैं बजट अनुमान 2020–21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 19639.18 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जो संशोधित बजट 2019–20 के 15271.10 करोड़ रुपये पर 28.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। उच्च शिक्षा के लिए, मैं वर्ष 2020–21 के लिए 2936.20 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जो बजट अनुमान 2019–20 पर 41.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

81. मैं बजट अनुमान 2020–21 में तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 705.04 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2019–20 के 581.02 करोड़ रुपये पर 21.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण

82. सत्र 2019–20 से 4 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 4 नये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ किए गए हैं। साथ ही 22 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। आगामी सत्र में सिकरोना, इन्द्री और जीवन नगर में तीन नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे।

83. राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme) में 2016 से अब तक कुल 11485 राजकीय और निजी प्रतिष्ठान पंजीकृत हुए हैं और 76426 प्रशिक्षु नियुक्त किये गए हैं। हरियाणा ने वर्ष 2017–18 में प्रति लाख जनसंख्या पर अधिकतम प्रशिक्षु लगाने में देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया था और आज भी हम इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं।

84. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से निकलने वाले प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण देने तथा उद्योगों से अग्रानुबंधन के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में पूर्णतः बदलाव किया गया है। वर्ष 2020–21 में सौर ऊर्जा बैकअप, प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली, नवीनतम उपकरण, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित अमला, इंटरनेट कनेक्शन और सभी सुविधाओं से युक्त 24 नए आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाएंगे।

85. हरियाणा सरकार और उद्योगों के बीच प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली के लिए 71 इकाइयों के साथ एमओयू किया गया है। 6 महीने से एक वर्ष तक

पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को सम्बंधित उद्योगों में 3 से 6 महीने का कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और दो साल तक के पाठ्यक्रम में 6 महीने से 12 महीने का कार्यस्थल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

86. श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने भी उद्योगों के साथ सुदृढ़ सम्पर्क स्थापित किया है और 69 एमओयू किये हैं। इस समय यह विश्वविद्यालय डिप्लोमा/अवर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के 31 पाठ्यक्रम चला रहा है। यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाने के लिए नेशनल ओपन कॉलेज नेटवर्क के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के साथ एमओयू करने की प्रक्रिया में है। विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2020–21 के दौरान डिप्लोमा/अवर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के 31 नये पाठ्यक्रम शुरू करेगा। विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए दूसरे संस्थानों को सम्बद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिसर में 12000 प्रशिणार्थियों का और सम्बद्ध पद्धति में 40000 प्रशिणार्थियों का कौशल विकास किया जाएगा।

87. बच्चों को दक्षता आधारित शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालय सीबीएसई से सम्बद्ध विद्यालयों में शैक्षणिक स्तर 2020–21 से 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए भी फीडर स्कूल शुरू करेगा।

88. हरियाणा कौशल विकास मिशन आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरुकता के अंतर्गत प्रदेश की कौशल पारिस्थितिकी के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना बना रहा है। सक्षम पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं सहित कुल एक लाख अतिरिक्त युवाओं को सम्बद्ध उद्योगों में रोजगार सक्षम बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित व उनका कौशल विकास किया जाएगा।

89. वर्ष 2020–21 में हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा उद्योग/भागीदार/विदेशी अभिकरण के सहयोग से राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पन्नीवाला मोटा, सिरसा में एक अति आधुनिक आदर्श कौशल केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

90. हमने निर्णय लिया है कि आगे से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल को सभी एन.एस.क्यू.एफ. पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। साथ ही पंजाबी भाषा को एन.एस.क्यू.एफ. के अन्तर्गत लाया जाएगा।

91. सरकार द्वारा संचालित सभी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी माध्यम से प्रशिक्षण का विकल्प दिया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो के हर स्नातक को संस्थान छोडने से पहले निःशुल्क पासपोर्ट प्रदान किया जाए।

92. हमने यह भी निर्णय लिया है कि कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग एक मोबाइल ऐप के माध्यम से आम जनता को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के स्नातकों की सेवाएं प्रदान करेगा ताकि नागरिक प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, हार्डवेयर मरम्मत आदि की सेवाओं का लाभ उठा सकें।

93. मैं, बजट अनुमान 2020–21 में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मामले विभाग के लिए 847.97 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करत हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2019–20 के 686.03 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 23.61 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है।

रोजगार

94. जबसे हमने जनसेवा की बागडोर संभाली है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हम इस दिशा में पिछले कार्यकाल में किये गये प्रयासों को निरंतर जारी रखते हुए नई पहल भी करेंगे। आगामी बैसाखी के दिन एक नए रोजगार पोर्टल का आरम्भ किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के उन युवाओं का विवरण होगा जिन्होंने पिछले 3–5 वर्षों में किसी भी प्रकार का दीर्घकालिक प्रशिक्षण और कौशल प्राप्त किया है। इसमें रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत उम्मीदवारों के साथ–साथ आईटीआई, पॉलीटेक्निक, उच्च शिक्षा महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय, अल्पावधि कौशल प्राप्त उम्मीदवार शामिल होंगे। ऐसे सभी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार नियोक्ताओं और जॉब एग्रीगेटर के साथ भागीदारी करेगी, जो हमारे युवाओं को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के प्रासंगिक स्रोत होंगे।

95. रोजगार पोर्टल के साथ–साथ एक कॉल सैंटर भी स्थापित किया जाएगा, जो उम्मीदवारों के रोजगार की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में सूचनाएं एकत्रित करेगा और उन्हें रोजगार के अवसरों की जानकारी उपलब्ध

करवाएगा। वर्ष 2020–21 में हम निजी क्षेत्र में 25000 उम्मीदवारों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने में सक्षम होंगे।

96. मेधावी युवाओं की पहचान की जाएगी और उन्हें हरियाणा की सरकारी नौकरियों के साथ–साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी चयन आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रेलवे समेत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा पास करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष कोचिंग और प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले दो वर्षों में हमारा लक्ष्य कम से कम एक लाख उम्मीदवारों को हरियाणा की और राज्य से बाहर सरकारी नौकरियों से जोड़ने का है।

97. सक्षम युवा उम्मीदवारों को सरकारी विभागों के साथ–साथ निजी संगठनों में भी रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करवाए जाएंगे। सक्षम युवाओं लिए एक विशेष प्लेसमैंट सैल भी स्थापित किया जाएगा, जो उनके लिए रोजगार और कौशल के विशेष अवसर पैदा करेगा।

98. राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कई योजनाओं में अल्पावधि कौशल प्रदान किया जा रहा है। लेकिन उम्मीदवारों के लिए सही कौशल पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण केंद्र का चयन कर पाना बड़ा कठिन है। हम राज्य में सभी तरह के अल्पावधि कौशल के लिए सिंगल पोर्टल शुरू करेंगे जिससे उम्मीदवारों को एक ही क्लिक पर सही कौशल प्रशिक्षण और उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी हासिल करने में सुविधा हो सके। इससे हमें सभी कुशल युवाओं एक समेकित डेटाबेस भी मिलेगा, जिसे बाद में नए रोजगार पोर्टल से जोड़ा जा सकता है ।

99. रोजगार विभाग के लिए मैं बजट अनुमान 2020–21 के लिए 416.02 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

खेल एवं युवा मामले

100. अध्यक्ष महोदय, सरकार प्रदेश को देश के स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सोनीपत के राई में किसी भी प्रदेश द्वारा पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सराहनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 'खेलो इण्डिया यूथ गेम्स–2019' में हरियाणा 178 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

101. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए हमने दैनिक खुराक भत्ता 150 से बढ़ाकर 250 रुपये करने का निर्णय लिया है जिससे 4000 खिलाड़ियों को फायदा होगा। पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 बनाए गए हैं। पात्र खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पदों में 3 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

102. विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। खिलाड़ियों के लिए समुचित संख्या में छात्रावासों का भी निर्माण किया जाएगा।

103. हमारे राज्य की जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं का है। इन सबकी क्षमताओं को बढ़ाने और इनकी ऊर्जा का राष्ट्र निर्माण में दोहन करने के लिए हम युवा मंडलों की संख्या में वृद्धि करने तथा रजिस्ट्रर्ड युवा मंडलों की गतिविधियों के लिए बजट में समुचित वृद्धि की जा रही है।

104. मैं, बजट अनुमान 2020–21 में खेल एवं युवा मामले विभाग के लिए 394.09 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2019–20 पर 12.83 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है।

स्वास्थ्य

105. हरियाणा सरकार अपने सभी नागरिकों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ–साथ बुनियादी सुविधाओं, मानव संसाधनों, उपकरणों, दवाइयों इत्यादि का पहले ही उन्नयन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग बीमार व दुर्घटना से ग्रसित व्यक्तियों के साथ–साथ अन्य जैसे कि नवजात शिशुओं, बच्चों, किशोरियों, माताओं, पात्र दम्पत्तियों व बुजुर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा रहा है। संचारी व गैर–संचारी बीमारियों की तुरंत रोकथाम के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं तथा रिकार्डिंग, रिर्पोटिंग व प्लानिंग के तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। नीति आयोग के जून, 2019 के स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार, हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम स्थान पर रहा और इस

उपलब्धि के लिए 72.71 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा राज्य को दी गई है।

106. राज्य ने सभी स्वास्थ्य मानकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2017 तक मातृ मृत्यु दर 127 से घटकर 98 रह गई है। बाल स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण से प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चों में से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 45 से घटकर 35 रह गई है। प्रति हजार जीवित जन्मे शिशुओं की मृत्यु दर 41 से घटकर 30 तथा प्रति हजार जीवित जन्मे नवजात शिशुओं की मृत्यु दर 26 से 5 अंक घटकर 21 रह गई है। नवम्बर, 2019 तक संस्थागत प्रसूति 93.7 प्रतिशत दर्ज की गई। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की जबरदस्त सफलता से राज्य में वर्ष 2019 में जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 923 हो गया ।

107. हरियाणा को 16 से 18 नवंबर 2019 तक गांधीनगर (गुजरात) में हुई छठी नेशनल सम्मिट ऑन गुड एण्ड रिपलीकेबल प्रैक्टिसिज एण्ड एनोवेशंस इन पब्लिक हैल्थ केयर सिस्टम्स इन इण्डिया में 2 प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं।

108. आयुष्मान भारत के तहत 16,27,870 गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं जो कि 5,84,487 परिवारों के लिए हैं। 526 अस्पतालों को सूचिबद्ध किया गया है तथा 87.43 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। वर्ष 2020–21 से अब उन परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, को भी आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के समकक्ष लाभ दिया जाएगा ताकि ये परिवार भी 5 लाख रुपये तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकें।

109. वर्तमान में कैथ लैब सेवाएं सिर्फ चार जिलों में, एम.आर.आई. की सेवाएं सिर्फ चार जिला अस्पतालों में तथा सी.टी. स्कैन की सुविधा 17 जिला अस्पतालों में उपलब्ध है। हमने फैसला किया है कि वर्ष 2020–21 में ये तीनों सेवाएं सभी जिला अस्पतालों में दी जाएंगी। इसी प्रकार डायलेसिस की सेवाएं, जो वर्तमान में 18 जिला अस्पतालों में चल रही हैं, अब सभी जिला अस्पतालों के अतिरिक्त उप–मंडल अस्पतालों में भी प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, अल्ट्रासाउंड की सुविधा हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर तक विस्तारित की जाएगी। व्यस्क व बच्चों के लिए वैंटीलेटर की सुविधा भी सभी जिला अस्पतालों में प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त सभी सेवाओं का विस्तार सार्वजनिक–निजी सहभागिता के आधार पर किया जाएगा।

110. विभाग की 27 नए ए.एल.एस. एम्बुलैंसों को वर्तमान में चल रही 21 ए.एल.एस. एम्बुलैसों के साथ जोड़ने की योजना है ताकि सभी जिला अस्पताल व सब–डिवीजन अस्पताल कवर हो सकें। इसके अतिरिक्त, 47 अतिरिक्त मोबाइल मैडिकल यूनिट प्रस्तावित हैं ताकि एक मोबाइल मैडिकल यूनिट कम से कम 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कवर कर सके। यह मोबाइल मैडिकल यूनिट गांव–गांव जाकर ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य जाँच कराएगी।

111. सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, ऑनलाइन इंवेटरी सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा ताकि सभी अस्पतालों में हर दवाई पूरी पारदर्शिता व बिना किसी देरी के हर मरीज़ को उपलब्ध हो सके। दवाइयों की उपलब्धता की सूची सम्बन्धित ग्राम पंचायत को रोज़ाना दी जाएगी। दवाइयों की सूची एवं स्टाक में उपलब्धता को अस्पताल के प्रमुख स्थान पर भी प्रतिदिन दर्शाया जाएगा।

112. MRI, CT Scan, Cath Lab और Dialysis की सुविधा के साथ–साथ वर्ष 2020–21 में ही सभी जिला हस्पतालों में कैंसर के ईलाज के लिए कीमोथैरेपी का प्रावधान भी किया जाएगा।

113. अचानक दिल से संबंधित तकलीफ होना जानलेवा न हो जाए, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए सोरबिट्रेट की गोली प्रथम सहायता के रूप में सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्डों, अनाज मण्डी इत्यादि प्रमुख जगहों पर मुफ्त रखी जाएगी।

114. अनौपचारिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जैसे कि रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर आदि के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा।

115. सभी राज्य वासियों की पूर्ण शारीरिक जाँच स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क करवाई जाएगी और उन्हें परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाएगा। इस प्रकार अब हर हरियाणा निवासी को उसका ऑनलाइन हैल्थ कार्ड उपलब्ध होगा।

आयुष

116. आयुष विभाग लोगों को चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य बारे जागरुक कर रहा है। अधिकतर आयुष संस्थान ग्रामीण और दूर–दराज के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

117. श्री कृष्णा आयुष विश्वविघालय, कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र व महिला भगत फूल सिंह मैमोरियल आयुर्वेदिक महाविद्यालय, खानपुर (सोनीपत) के माध्यम से हरियाणा राज्य में आयुष चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जा रही है।

118. हमने वर्ष 2020–21 में 2000 जिम एवं व्यायामशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाते हुए उन्हें वेलनेस सेंटर के तौर पर परिवर्तित करने का प्रावधान किया है ।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

119. वर्ष 1966 में 1 नवम्बर को जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ, तब राज्य में केवल एक सरकारी मैडिकल कॉलेज रोहतक में था और कोई प्राईवेट मैडिकल कॉलेज नहीं था। वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 2014 तक राज्य में पी0जी0आई0एम0एस0, रोहतक के अतिरिक्त केवल दो और सरकारी मैडिकल कॉलेज खोले गए हैं तथा एक सरकार से अनुदान प्राप्त और दो मैडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में खोले गए।

120. राज्य में वर्ष 2014 के बाद अब तक 6 साल के छोटे से कार्यकाल में मैडिकल कॉलेजों की संख्या दो गुना बढ़ गई है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी बीच सरकारी मैडिकल कॉलेजों की संख्या तीन से बढ़कर पांच तथा प्राईवेट मैडिकल कॉलेजों की संख्या दो से बढ़कर छः हो गई है।

121. यह बताते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि राज्य मे एम0बी0बी0एस0 सीटों की संख्या वर्ष 2014 में 700 से बढ़कर अब 1710 हो गई है, जो कि दो गुना से भी ज्यादा है। राज्य मे स्नातकोत्तर स्तर पर भी सीटों की संख्या भी वर्ष 2014 में 289 से बढ़कर अब 464 हो गई है।

122. सरकार द्वारा जिला भिवानी, जीन्द, महेन्द्रगढ़ तथा गुरुग्राम में चार और सरकारी मैडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिनके लगभग दो से तीन वर्षों में शुरू होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त कुटेल, करनाल में

पंडित दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सांइसेस की स्थापना भी की जा रही है। एक सरकारी डैन्टल कॉलेज नल्हड़, मेवात सरकारी मैडिकल कॉलेज में खोला जा रहा है।

123. हमने वर्ष 2020–21 में राज्य में तीन नए सरकारी मैडिकल कॉलेज, जिला यमुनानगर, कैथल तथा सिरसा में बनाने का निर्णय भी लिया है।

124. राज्य में गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की सुविधा के लिए प्रदेश के सरकारी मैडिकल कॉलेजों मे वैन्टीलेटर की संख्या 190 से बढ़ाकर 400 कर दी जाएगी।

125. राज्य सरकार के 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के संकल्प को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रदेश की बेटियां, जोकि सरकारी नर्सिंग स्कूल/कॉलेजों में नर्सिंग की शिक्षा ले रही है, उनको राज्य सरकार अंग्रेजी का विषय पढ़ाने की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाएगी तथा उन बेटियों को सरकार अपने खर्चे पर ही पासपोर्ट की तैयारी करवाएगी व उन बेटियों के लिए पासपोर्ट बनवाने का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

126. हमारी सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति सजग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य पर सार्वजनिक क्षेत्र का खर्च जी.डी.पी. का 2.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य दिया है। इसी के अनुसरण में हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटन, कुल बजट का लगभग 5 प्रतिशत प्रस्तावित किया है जोकि अब तक का सर्वाधिक है।

127. मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए वर्ष 2020–21 में 6533.75 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि वर्ष 2019–20 के 5310.64 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान परिव्यय पर 23.03 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रस्तावित परिव्यय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 4201.16 करोड़ रुपये, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 1701.50 करोड़ रुपये, आयुष के लिए 353.29 करोड़ रुपये, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल के लिए 237.85 करोड़ रुपये और खाद्य एवं औषध प्रशासन के लिए 39.94 करोड़ रुपये शामिल है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

128. हरियाणा ने क्लाउड आधारित समेकित सम्पत्ति पंजीकरण एवं भू–अभिलेख प्रबंधन प्रणाली, वैब–हैलरिस विकसित की है, जो तहसीलों/उप–तहसीलों में विलेखों के पंजीकरण, ई–रजिस्ट्रेशन, ई–स्टैम्पिंग, जमाबन्दी, म्यूटेशन,

ई–गिरदावरी और सिंगल वेब पोर्टल और पंजीकृत विलेखों के डिजिटल भंडार के माध्यम से अधिकार अभिलेखों की प्रतियां जारी करने के लिए ई–नियुक्तियों को एकीकृत करती है। वेब–हैलरिस को 91 तहसीलों/उप तहसीलों में लागू किया गया है और जून, 2020 तक इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

129. ई–पंजीकरण को और अधिक उपयोगकर्त्ता–अनुकूल बनाकर तथा सिंगल पोर्टल के माध्यम से सभी सेवाएं उपलब्ध करवाकर इसे और मजबूत किया जाएगा। जमाबन्दी, म्यूटेशन, खसरा गिरदावरी आदि के अभिलेखों की ऑनलाइन प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जाएंगे।

130. सदियों पुराने राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा रिकॉर्ड रूम के संरक्षण के लिए सात जिलों नामतः करनाल, पलवल, रेवाड़ी, पंचकूला, यमुनानगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में आधुनिक राजस्व–रिकॉर्ड रूम परियोजना शुरू की गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान यह परियोजना शेष जिलों में भी शुरू की जाएगी।

131. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से समूचे ग्रामीण, शहरी और आबादी देह क्षेत्रों की बड़े पैमाने पर जीआईएस मैपिंग की परियोजना शुरू की गई है। इस मानचित्रण से भूमि के सटीक सीमांकन, परिवर्तनों का पता लगाने, अतिक्रमणों की पहचान करने, आबादी देह और पालिकाओं में प्रत्येक भूमि और संपत्ति की पहचान, करने में सुविधा होगी। 25 दिसम्बर, 2019 को करनाल जिले के गांव सिरसी से लाल डोरा मुक्ति की एक पायलट परियोजना शुरू की गई। 15 जिलों के 75 गांवों की ड्रोन फ्लाइंग की गई है, जिसके तहत इन जिलों के 5–5 गांवों को शामिल किया गया है। प्रथम चरण में सोनीपत, करनाल और जींद जिलों की सम्पूर्ण मैपिंग का कार्य वर्ष 2020–21 में शुरू करेंगें। करनाल जिले के सिरसी गाँव की भांति सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का प्रस्ताव है ।

132. हर्ष की बात है कि वर्ष 2014 तक की किसानों की जबरन भूमि अधिग्रहण की परिपाटी को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। केवल मात्र राष्ट्रीय या राज्य महामार्गों को छोड़कर बाकी विकास कार्यों के लिए भूमि की खरीद, भू मालिकों की स्वेच्छा से एवं पूर्णतः पारदर्शी तरीके से ई–भूमि पोर्टल के द्वारा की जा रही है।

133. राजस्व विभाग के लिए मैं बजट अनुमान 2020—21 में 1522.35 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो बजट अनुमान 2019—20 के 1355.42 करोड़ रुपये की तुलना में 12.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)

134. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में समान और निष्पक्ष सुधार के लिए सड़क रखरखाव नीति—2016 बनाई हुई है। सड़क प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच 19,318 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया है, जिसमें से 4,635 किलोमीटर लम्बी सड़कों को चौड़ा किया गया है।

135. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना—III के तहत वर्ष 2020—21 के दौरान लगभग 1000 किलोमीटर सड़कों का सुधार होने की आशा है। वर्ष 2019—20 में नाबार्ड स्कीम के तहत 138.33 करोड़ रुपये की राशि की 40 परियोजनाएं स्वीकृत हुई। वर्ष 2020—21 में 232.76 करोड़ रुपये की लागत से 81 सड़कों का सुधार करने का एक प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा गया है।

136. राज्य सरकार की पहल पर, पांच परियोजनाएं नामतः (i) भिवानी से चरखी दादरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग—148बी को चार मार्गी बनाने और भिवानी बाईपास समेत खरक से भिवानी तक राष्ट्रीय राजमार्ग—709ई को चार मार्गी बनाने, (ii) पिंजौर—बद्दी—नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग—21ए पर पिंजौर में बाईपास, (iii) कैथल से अम्बाला तक राष्ट्रीय राजमार्ग—65 को चार मार्गी बनाने, (iv) पंजाब सीमा से जींद वाया नरवाना राष्ट्रीय राजमार्ग—71 को चार मार्गी बनाने और (v) पंचकूला से यमुनानगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग—73 को चार मार्गी बनाने की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन सभी परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

137. भारत सरकार ने नवम्बर 2014 से हरियाणा के लिए 17 नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये हैं, जिनकी कुल लम्बाई 1069.82 किलोमीटर है। इनमें दो मुख्य ग्रीन फील्ड कॉरिडोर नामतः इस्माइलाबाद से नारनौल (राष्ट्रीय राजमार्ग—152डी) और सोहना—वडोदरा (राष्ट्रीय राजमार्ग—148एन) शामिल हैं। इनके निर्माण का कार्य आवंटित कर दिया गया है।

138. रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और राज्य के रेल सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में रेल कनैक्टिविटी के लिए हरियाणा सरकार ने रेल मंत्रालय के साथ

मिलकर एक संयुक्त उद्यम कम्पनी, हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एच.आर.आई.डी.सी) का गठन किया है। एच.आर.आई.डी.सी. ने राज्य में कई महत्वपूर्ण रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की हैं। 5600 करोड़ रुपये की लागत से, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना रेलवे मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई है, जो पलवल से सोनीपत वाया सोहना–मानेसर–खरखौदा (130 किलोमीटर विद्युतीकृत ब्रॉडगेज दोहरी लाइन परियोजना) दिल्ली को बाईपास करते हुए उत्तरी हरियाणा को जोड़ेगी। 150 किलोमीटर लम्बी जींद–हांसी नई रेलवे लाइन और 61 किलोमीटर लम्बी करनाल–यमुनानगर नई रेलवे लाइनों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भी अंतिम रूप देकर रेलवे मंत्रालय को भेजा गया है।

139. विधानसभा के सदस्यों और आम जनता की मांग के आधार पर हमने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को कई परियोजनाओं के लिए आग्रह किया है। इन परियोजनाओं में पंचकूला शहर में NH-22 (नया NH-7) पर फ्लाई ओवर का निर्माण, पटौदी बाईपास सहित गुरुग्राम–पटौदी–रेवाड़ी सड़क का निर्माण, दिल्ली–रोहतक NH-10 (नया NH-9) पर 5 अण्डरपास और सर्विस रोड का निर्माण, अम्बाला और भिवानी शहर में रिंग रोड तथा करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और नरवाना शहर में बाईपासों का निर्माण, रोहतक–जींद NH-71 (नया NH-352) के चारमार्गीय कार्य को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव, करनाल जिले में NH-1 (नया NH-44) पर कंबोपुरा गांव के पास अण्डरपास का निर्माण, नव निर्मित यमुना नगर बाईपास को क्रॉस करने वाली विभिन्न सड़कों के लिए अण्डरपासों का निर्माण, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ पलवल–अलीगढ़ रोड के चौराहे पर इंटरचेंज का निर्माण, नूंह–अलवर (NH-248-A) और नारनौल–महेन्द्रगढ़–चरखी दादरी सड़क (NH-148 -B) को चारमार्गीय करने का विषय शामिल है।

140. अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त सभी परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृतियों के लिए, मैं इस बजट सैशन के तुरंत बाद दिल्ली जाकर माननीय केन्द्रीय मंत्री (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) से मुलाकात करूँगा।

141. हरियाणा राज्य में रेल के सम्पूर्ण विकास के लिए हमारी सरकार ने केन्द्रीय रेल मंत्रालय से निरंतर अनुरोध किया है, जिसके कारण 2020–21 के केन्द्रीय बजट में कई परियोजनाएं शामिल की गई हैं। मैं भारत सरकार

का आभार प्रकट करता हूँ कि सोनीपत जिले के बड़ी गांव में Coach Periodical Overhauling व Refurbishment Workshop की स्थापना के लिए 122 करोड़ रुपये, रोहतक–महम–हांसी रेलवे लाइन के लिए 100 करोड़ रुपये केंद्रीय बजट में रखे गए हैं। साथ ही कुरुक्षेत्र शहर में नरवाना–कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन के 5 रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करके 4.5 कि.मी. लम्बा एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए 6 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है और हरियाणा में 24 आर.ओ.बी./ आर.यू.बी. के निर्माण की परियोजना पानीपत–रोहतक, जाखल–हिसार, अस्थल बोहर–रेवाड़ी, बठिंडा– हिसार–सादलपुर रेल लाइनों का दोहरीकरण एवं पलवल और नया पृथला रेलवे स्टेशन को रेल लाइन से जोड़ने का कार्य भी केन्द्रीय बजट 2020–21 में शामिल किया गया है।

142. कैथल शहर में लगभग 4.5 कि.मी. लम्बी एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना तैयार की गई है जिसे स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय को शीघ्र प्रस्ताव भेजा जायेगा। इस परियोजना से कैथल शहर तीन रेलवे क्रॉसिंग (देवीगढ़ रोड, करनाल रोड, पुराने अम्बाला–हिसार बाईपास) से मुक्त हो जाएगा, जिससे यातायात का संचालन सुचारू रूप से होगा।

143. जींद शहर की चारों रेलवे लाइनों (जींद–पानीपत, जींद–रोहतक, जींद–सोनीपत, प्रस्तावित जींद–हांसी) को आपस में जोड़कर पाण्डु पिंडारा के पास एक नया जंक्शन बनाने का अध्ययन किया जा रहा है। इस परियोजना से जींद शहर में यातायात का सुगम संचालन होगा।

144. जनता की भारी मांग को देखते हुए इन सभी परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने के लिए भी मैं केन्द्रीय रेल मंत्री से दिल्ली जाकर व्यक्तिगत मुलाकात करूँगा। इस बैठक में कलानौर और गोहाना रेलवे स्टेशन पर हिसार से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन के ठहराव के लिए तथा बवानीखेड़ा में किसान एक्सप्रैस (बठिंडा–दिल्ली ट्रेन) के ठहराव के लिए भी मैं केन्द्रीय रेल मंत्री से अनुग्रह करूँगा।

145. यह रिकार्ड की बात है कि वर्ष 1966 से 2014 तक हरियाणा में 64 आर.ओ.बी/आर.यू.बी. का निर्माण किया गया था जबकि वर्ष 2014 से 2019 तक 83 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का काम शुरू हुआ, जिनमें से 43 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण पूरा किया गया है तथा 40 आर.ओ.बी/आर.यू.बी. का कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करने के लिए 'सेतु भारतम्' परियोजना के अंतर्गत

6 आर.ओ.बी. का निर्माण किया जा रहा है और शेष 2 आर.ओ.बी. को भी निकट भविष्य में बनवा दिया जाएगा।

146. हरियाणा सरकार वर्ष 2020–21 से एक विशेष कार्यक्रम के तहत, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, मुख्य जिला सड़कों पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग की जगह रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज का निर्माण करेगी।

147. हमारी सरकार द्वारा 10 विभिन्न शहरों के बाईपास के निर्माण के लिए 905.67 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। ये बाईपास टोहाना, कोसली, हथीन, पुन्हाना, पिंगवाना, छुछकवास, बहादुरगढ़, गोहाना, उचाना और सोनीपत शहर में प्रस्तावित हैं। टोहाना बाईपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है और सितम्बर 2021 तक पूरा होने की सम्भावना है। शेष बाईपासों के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है जिसके लिए ई–भूमि पोर्टल पर प्रस्ताव मांगे गए हैं। मैं सबंधित विधायकों से इस बारे सहयोग का भी अनुरोध करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहां जमीन पहले उपलब्ध होगी, उस बाईपास के निर्माण का कार्य प्राथमिकता पर किया जाएगा। इनके अलावा, पिंजौर और भिवानी शहर के लिए बाईपास का कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2020 में ही कार्य पूरा होने की संभावना है।

148. वर्ष 2014 से 2019 तक 538.36 कि.मी. लम्बी 259 नई सड़कों का निर्माण 437.93 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 में 438 कि.मी. लम्बी 182 नई सड़कों का निर्माण 382.29 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। 1130 करोड़ रुपये की लागत से 1566 कि.मी. लम्बे 6 करम या इससे अधिक चौड़े सभी 530 कच्चे रास्तों को पक्की सड़क में बदलने का कार्य समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके उपरांत कोई भी 6 करम या उससे अधिक चौड़ा कच्चा रास्ता सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में नहीं बचेगा।

149. इसके अतिरिक्त, पूरे प्रदेश में पाँच करम के सभी रास्ते, जोकि एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा।

150. सरकार ने समयबद्ध तरीके से मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए 'स्टेट ऑफ आर्ट' जेटपैचर मशीनों के माध्यम से पैच और गड्ढों की मरम्मत का कार्य आवंटित किया है। इस प्रयोजन के लिए पूरे राज्य में विभिन्न सड़कों को चार क्षेत्रों (कैथल, अम्बाला, हिसार, रेवाड़ी) में विभाजित किया गया है।

पंचकूला और चरखी दादरी में सामान्य तरीके से पैच वर्क व गड्ढे भरने का कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा करवाया जा रहा है।

151. सड़कों पर गड्ढ़ों की सूचना विभाग के अधिकारी तथा आम जनता द्वारा 'हरपथ एप' पर अपलोड की जा रही है तथा ठेकेदार द्वारा 96 घण्टों में गड्ढे की मरम्मत की जानी है। इस समय–सीमा में मरम्मत न किए जाने पर ठेकेदार पर 1000 रुपये प्रति गड्ढा प्रतिदिन के स्वतः जुर्माने का प्रावधान है। अगर शिकायत 96 घण्टे में दूर नहीं की जाती है तो इस जुर्माने की राशि में से उसी शिकायतकर्ता को 100 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की योजना को मैं 1 अप्रैल, 2020 से लागू करने की घोषणा करता हूँ।

152. सड़क वाहनों की सुरक्षा के लिए विद्युत लाइनों को ऊँचा करना बहुत आवश्यक है। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये जा चुके हैं कि सड़कों पर से गुजरने वाली उन विद्युत लाइनों का सर्वेक्षण किया जाए जिनकी ऊँचाई सड़क से 6.5 मीटर से कम है। हरियाणा सरकार के सभी विभागों/बोर्डों/निगमों की सड़कों का सर्वेक्षण किया जाएगा। अगले तीन महीनों में सर्वेक्षण करने के उपरान्त प्रदेश की हर सड़क पर विद्युत लाइनों को ऊँचा करने का कार्य बिजली विभाग द्वारा अगले 6 महीनों में पूरा किया जाएगा।

153. मैं, वर्ष 2020–21 में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के लिए 3541.32 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2019–20 के 3251.95 करोड़ पये की तुलना में 8.90 प्रतिशत अधिक है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

154. जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए हैं, उसी तरह हमारी सरकार ने ठानी है कि सभी घरों में नल से पेयजल दिया जाए। यह कार्य माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 'जल जीवन मिशन' योजना के तहत किया जाएगा, जिसकी 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा व शेष 50 प्रतिशत राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। यद्यपि भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है, लेकिन हमने हरियाणा में इस कार्य को वर्ष 2022 में ही

पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 32.88 लाख घर हैं और वर्तमान में राज्य के कुल 17.58 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन हैं। इस दिशा में हरियाणा राज्य देश में चौथे स्थान पर है। शेष 15.30 लाख घरों में से 6.50 लाख घरों को वर्ष 2020–21 में पेयजल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे यह बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि यह योजना राज्य में 1 दिसम्बर, 2019 से शुरू की गई थी और 23 फरवरी, 2020 तक इस योजना के तहत 3.62 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

155. ग्रामीण जल आपूर्ति बढ़ोतरी कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में जल आपूर्ति का स्तर 55–70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए मौजूदा जल आपूर्ति सुविधाओं का सुधार एवं मजबुतीकरण किया जाएगा। गांवों में अतिरिक्त नलकूप लगाकर, मौजुदा नहर आधारित योजनाओं की बढ़ोतरी, नहर आधारित नए जलघर बनाकर, बुस्टिंग स्टेशनों का निर्माण करके, मौजुदा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाकर सुधार किया जाएगा। नलकूप आधारित जल आपूर्ति योजना में अगर यह पाया जाता है कि भूजल की गुणवता खराब हो गई है, तब या तो किसी दूसरे भूजल आधारित स्रोतों की व्यवस्था की जाती है या सतही आधारित जल आपूर्ति योजना बना दी जाती है।

156. ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनओं की बढ़ोतरी के क्रियान्वन में तेजी लाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत नाबार्ड से भी धनराशि ली जा रही है। इस समय 954.92 करोड़ रूपये की लागत से जिला रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, हिसार, जीन्द और नूंह में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई 12 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। नाबार्ड द्वारा हाल ही में महेन्द्रगढ़ और हिसार जिले के लिए कुल 120.48 करोड़ रूपये की दो परियोजनाए मंजूर की गई है।

157. हमने महाग्राम योजना गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल आपूर्ति बढाने तथा सीवरेज व्यवस्था बिछाने के लिए शुरू की थी। इस योजना मे अब तक 128 गाँव चिह्नित किए गए हैं। प्रथम चरण के 20 गाँवों का कार्य 31 मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा, दूसरे चरण में 37 गाँवों का कार्य 31 दिसम्बर 2023 तक व अंतिम तीसरे चरण में शेष 71 गावों का कार्य 31 दिसम्बर 2024 तक पूरा कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत काछवा, सरस्वती नगर, सढौरा, सीवन, क्योड़क, पाई,

मानेसर, नाहरपुर कासन, सोताई, तीगाव, गंगा, ददलाना, खानपुर कलां, निंदाना, सतनाली, साकरस, मुआना, कापड़ो, पेटवाड़, निगधु व सिवाह में कार्य प्रगति पर है। बाकी गांवों में भी कार्य जल्द ही शुरु किया जाएगा।

158. कुछ विधायकों ने मुझे यह सुझाव दिया था कि एस.टी.पी. का कार्य भी महाग्राम योजना में शामिल किया जाए। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महाग्राम योजना के कार्यों में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए एस.टी.पी. का प्रावधान पहले ही रखा हुआ है। इस संदर्भ में काछवा, सिवाह व सीवन में एस.टी.पी. लगाने का कार्य आवंटित किया जा चुका है।

159. शहरी क्षेत्रों में भी हमारी सरकार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से पानी पहुंचाने के लिये दृढ–संकल्प है। राज्य के 87 शहरों, जिनकी देख–रेख जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कर रहा है, उन सभी शहरों में पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण विकसित हुई घरौंडा, निसिंग, तरावड़ी व समालखा की सभी नई कॉलोनियों में पेयजल सुविधा प्रदान करने का कार्य चल रहा है जो इसी वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

160. कुल 87 शहरों में से, 78 शहरों में 75 प्रतिशत से ज्यादा सीवर लाईन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष 9 शहरों में से, भूना, बराड़ा, इस्माईलाबाद व सढ़ौरा में सीवर लाइन लगाने का कार्य प्रगति पर है। बास, नांगल चौधरी, राजौंद, जाखल व सिसाय कसबों में सीवर लाइन लगाने का कार्य वित्त वर्ष 2020–21 में शुरू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सीवरेज लाइन लगाने का कार्य कालांवाली, मण्डी डबवाली, नारायणगढ़, पिंजौर, रतिया, सिरसा, नीलोखेड़ी, निसिंग, इस्माईलाबाद, गोहाना, तारावड़ी, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, हसनपुर, होडल तथा घरौंडा में भी चल रहा है, जो इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जायेगा। वित वर्ष 2020–21 में लगभग 100 किलोमीटर नई सीवर लाइन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

161. अब तक 80 शहरों मे 124 सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा किया गया है। एक नया सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट भूना में जून, 2020 तक स्थापित कर दिया जायेगा व शेष 6 शहरों नामतः नांगल चौधरी, राजौन्द, इस्माईलाबाद, सिसाय, बास व सढ़ौरा में परिशोधन सयंत्र लगाने का कार्य आगामी वित वर्ष 2020–21 मे शुरू किया जायेगा। इन्द्री, पलवल व युमनानगर में मौजूदा सीवेज ट्रीटमैंट

प्लांट की जगह नये सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाये जाएंगे तथा इसके अलावा कैथल, पून्डरी, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, सिरसा, रोहतक, तोशाम, असंध व सिवानी के मौजुदा सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट का उन्नयन किया जायेगा।

162. हमारी सरकार ने उपचारित अपशिष्ट जल का गैर–पेयजल के रुप में इस्तेमाल करने के लिये नीति बनाई है। उपचारित अपशिष्ट जल का मुख्यतः पावर प्लांट, उद्योगों, सिंचाई व नगर पालिकाओं द्वारा गैर पेयजल कार्य हेतु प्रयोग किया जाएगा। वर्ष 2022 तक 25 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल को इस्तेमाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही, 30 साल पुरानी पेयजल की लाइनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा ।

163. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लांनिंग बोर्ड के तहत गन्नौर, सोहना, बेरी, झज्जर, कलानौर, सांपला, खरखौदा, होडल व समालखा में सीवरेज लाइन डालने व सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट के उन्नयन व नवीनीकरण इत्यादि के कार्य वर्ष 2020–21 में किये जाएंगे।

164. बरसाती पानी की निकासी हेतु अम्बाला शहर, अम्बाला सदर, भिवानी, सिवानी, बेरी, झज्जर, पूंडरी, होडल, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक व गन्नौर शहरों में कार्य चल रहे हैं, जिनको इसी वर्ष 2020–21 में पूर्ण कर लिया जायेगा। हिसार व रोहतक शहर के लिये नये कार्य वर्ष 2020–21 में शुरू किये जायेंगे।

165. घग्गर नदी विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित रसायनों एवं शहरी व ग्रामीण मल–जल से दूषित हो रही है, जिससे हेपेटाईटस व कैंसर जेसी घातक बीमारियां फैल रही हैं। इस समस्या के निवारण हेतु इस क्षेत्र में बहने वाली विभिन्न छोटी नदियों व नालों के शुद्धिकरण एवं संरक्षण की नई योजना बनाई जा रही है।

166. मैं, वर्ष 2020–21 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 3591.27 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ, जबकि वर्ष 2019–20 का संशोधित अनुमान 3410.77 करोड़ रूपये था।

सिंचाई एवं जल संसाधन

167. हमारी सरकार रावी–ब्यास नदियों के जल में से हरियाणा का न्यायोचित हिस्सा दिलाने के लिए सतलुज–यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए

निष्ठा और ठोस प्रयासों के साथ प्रतिबद्ध है। मैं विशेष रूप से 2020–21 में इस उद्देश्य के लिए 100.00 करोड़ रूपये का परिव्यय आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ और सम्मानित सदन को आश्वस्त करता हूँ कि जितने भी अतिरिक्त धन की मांग होगी, उसे वर्ष के दौरान तुरन्त पूरा किया जाएगा।

168. कृषि उद्देश्यों के लिए पानी के दक्ष उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के तहत लाने के लिए 36 चिह्नित अति–जलशोषित और महत्वपूर्ण खंडों पर बल दिया गया है।

169. इसके अलावा, "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"–सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत, हरियाणा सरकार ने 1200.00 करोड़ रुपये की चार परियोजनाएं तैयार की हैं, जिनका वित्त–पोषण नाबार्ड के सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत किया जाएगा।

170. मेवात क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने के.एम.पी. एक्सप्रेसवे के समान्तर बादली के पास गुरुग्राम वाटर सप्लाई चैनल से पाईप लाइन के माध्यम से गुरूग्राम नहर तक पानी पहुंचाने के लिए मेवात फीडर नहर के निर्माण का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 450 क्यूसिक की क्षमता वाली जी.डब्ल्यू. एस. चैनल का पुनर्निर्माण ककरोई हैड से बादली तक किया जाएगा।

171. फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में पानी की सप्लाई गुरूग्राम नहर से निकलने वाली बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री, उमरा माइनर और शादीपुर माइनर से की जाती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में पानी की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए मेवात फीडर का निर्माण कारगर सिद्ध होगा। इसके साथ ही उमरा माइनर तथा शादीपुर माइनर के पुनर्वास के लिए 5.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आपूर्ति को सुदृढ़ किया जा रहा है जिसके लिए आवश्यक बजट का प्रावधान किया गया है।

172. सिंचाई के क्षेत्र में बड़े नीतिगत बदलाव के तहत "हर खेत को पानी" के ध्येय को साकार करने के लिए जलमार्गों को पक्का करने की लम्बाई को कृषि कमांड क्षेत्र के अनुरूप 24 फुट प्रति एकड़ से बढ़ाकर 40 फुट प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया गया है। कच्चे जलमार्गों को पक्का करना एवं पुराने जलमार्गों का पुनर्वास 9 इंच मोटी दीवार द्वारा किया जाएगा,

जिसके परिणाम–स्वरुप राज्य में सिंचाई सघनता में वृद्धि होगी। पुनर्वास के लिए वर्तमान में 20 वर्ष की अवधि को जहां किसान चाहेंगे, कम करके 15 वर्ष कर दिया जाएगा।

173. 1828 एम.एल.डी. की शोधन क्षमता वाले 207 एस.टी.पी. से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए 1098.25 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना को सरकार द्वारा ''सैद्धांतिक रूप'' से अनुमोदित कर दिया गया है जिसके प्रथम चरण में 500.00 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के विभिन्न जिलों में मौजूदा एस.टी.पी. को सूक्ष्म सिंचाई के साथ समुदाय आधारित सौर अथवा ग्रिड संचालित एकीकृत सुक्ष्म सिंचाई अवसंरचना स्थापित करने की परियोजना को नाबार्ड के सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इन परियोजनाओं से यमुना नदी एवं घग्गर नदी में गिरने वाले गंदे पानी के बहाव को रोका जा सकेगा ।

174. किसानों के खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, 13 जिलों की 22555 एकड़ भूमि के लिए 189.46 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत की एक परियोजना सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत नाबार्ड को भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त पीपीपी मोड के माध्यम से हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के 57352 एकड़ क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 399.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक अन्य परियोजना सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत नाबार्ड को भेज दी गई है। दोनों परियोजनाओं के तहत नहरी पानी के भंडारण के लिए औसतन 10 फीट की गहराई वाले लगभग 160 टैंकों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी भंडारण क्षमता 16 मिलियन घन फुट होगी। इस प्रकार कुल प्रदेश में लगभग 80 हजार एकड़ भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा शुरू की जाएगी।

175. वर्ष 2014 से पहले, कई वर्षों तक कुल 1354 टेलों में से लगभग 300 टेलों तक पानी नहीं पहुंचता था। सरकार के निरंतर एवं अथक प्रयासों द्वारा अधिकांश टेलों पर पानी पहुंचा दिया गया है। कुछ विकट टेलें शेष बची हैं, जिन तक चैनलों की खराब एवं जर्जर हालत के कारण पानी नहीं पहुंचाया जा सका। उन पर पानी पहुंचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।

176. खुली नहरों की जगह कार्यक्षेत्र की उपयुक्ता के अनुसार पाइप लाइन की नहरों के निर्माण की प्रक्रिया में पहले से ही कार्यरत है। एच.डी.पी.ई. पाइप

की कीमत ज्यादा होने के कारण पूर्व निर्मित आर.सी.सी. पाईप इस्तेमाल कर रहा है। जहां पर पानी के प्रेशर की आवश्यकता होती है, वहां एम. एस. पाइपों का भी प्रयोग किया गया है। 15 नहरों पर कार्य शुरू कर दिया गया है और इसकी सफलता को देखकर इस कार्य को आगे बढ़ाया जायेगा।

177. विभिन्न नहरों पर रियल टाईम डिस्चार्ज डेटा प्राप्त करने के लिए 4.00 करोड़ रुपये की लागत से स्वचालित इलैक्ट्रोनिक गेज लगाये जा रहे हैं। यह व्यवस्था आउट्लेटस से अतिरिक्त पानी के इस्तेमाल व चोरी का पता लगाने में सहायक होगी। इसके अलावा, स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया जा रहा है, जिससे किसानों को नहरों के रोटेशनल प्रोग्राम तथा अंतिम छोर पर पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

178. गैर—मानसून के दौरान 763.13 हैक्टेयर मीटर की शुद्ध जल भंडारण क्षमता के आदिबद्री बांध के निर्माण की एक परियोजना सरकार के विचाराधीन है। विभिन्न आवश्यक मंजूरियों की वन, पर्यावरण, वन्य जीवन, सी.डब्ल्यू. सी. और हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रक्रिया चल रही है।

179. हमारी सरकार यमुना नदी पर जल भण्डारण के लिए रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी बांध बनाने के लिए उत्साह के साथ प्रयासरत है ताकि प्रदेश को यमुना और उसकी सहायक नदियों, गिरी और टॉन्स से लगातार पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। हरियाणा सरकार को समझौता ज्ञापन के तहत उपरी यमुना नदी बोर्ड को 458.42 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक राशि 5 सालों में चरणबद्ध रूप में देनी है ताकि इन बांधों का निर्माण हो सके। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020—21 में 100.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूं।

180. हरियाणा राज्य में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नहरों व नालों के जर्जर व पुराने पुलों के पुनर्वास व पुनर्निर्माण के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। मैं इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2020—21 में 150.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ ।

181. कृष्णावती नदी के पुनरोद्धार का कार्य, गांव रत्ता कलां से गांव मानपुरा तक, 14 किलोमीटर की लम्बाई में 240.46 लाख रुपये की लागत से

स्वीकृत कर दिया गया है और यह कार्य जुलाई, 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही, दोहन नदी के पुनरोद्धार का कार्य भी गांव डिरौली–अहीर से लेकर महेन्द्रगढ़ शहर तक 16 कि०मी० लम्बाई में 250.00 लाख रुपये की लागत से प्रगति पर है जिसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है ।

182. हमारी सरकार सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचना की स्थापना द्वारा सिंचाई के उद्देश्य के लिए गांवों में तालाबों से अतिरिक्त पानी का उपयोग करके ग्रामीणों को अतिप्रवाह तालाबों की गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और कैथल के 958 एकड़ कृषि कमान क्षेत्र को कवर करने के लिए 11 तालाबों पर काम पूरा हो गया है। अब 7.15 करोड़ रुपये की लागत से 55 गांवों के तालाबों के फालतू पानी का उपयोग करने के लिए सौर ऊर्जा से संचालित गैर–दवाब बुनियादी ढांचे की स्थापना 2738 एकड़ क्षेत्र में करने की परियोजना स्वीकृत की गई है।

183. राज्य में 25 एकड़ से बड़े 50 जलाशयों के पुनरोद्धार व नवनिर्माण के लिए हरियाणा राज्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र द्वारा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। प्रथम चरण में आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 127 एकड़ क्षेत्र में 4 जलाशयों नामतः सोनीपत जिले में जुआं, तियोरी, दुभेटा तथा रोहतक जिले के कारोर में को 26.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पुनरोद्धार व नवनिर्माण किया जाएगा ।

184. उपलब्ध अतिरिक्त सतही जल को संरक्षित करने के लिए नहरों से जुड़े 4000 गांवों के तालाबों की खुदाई, गाद निकालने व क्षमता बढ़ाने के कार्य को प्राथमिकता पर रखा गया है। इस कार्य को सिंचाई एवं जल संसाधन और विकास एवं पंचायत विभाग संयुक्त रूप से करेंगे। अब ये समस्त कार्य हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन प्राधिकरण की देखरेख में होंगे जिनके लिए वर्ष 2020–21 में 1000.00 करोड़ रुपये के विशेष प्रावधान का प्रस्ताव है।

185. राज्य को बाढ़ के प्रकोप और जल भराव की प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 51वीं बैठक में वर्ष 2020–21 के लिए 195.51 करोड़ रुपये की 212 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनके लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में 200.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

186. मानसून ऋतु के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए समानांतर दिल्ली ब्रान्च (पी.डी. ब्रान्च) की आर.डी. से 1,45,250 तक पुनर्निर्माण करने के लिए 304.00 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना को नाबार्ड के तहत स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त आवर्धन नहर की क्षमता 6000 क्यूसिक बढ़ाने व पुनर्निर्माण के लिए एक परियोजना 489.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत सरकार द्वारा नाबार्ड के तहत स्वीकृत की जा चुकी है जिससे भविष्य में दिल्ली, दक्षिण हरियाणा व अन्य जिलों में पानी की आपूर्ति की जा सके। इन दोनों परियोजनाओं का कार्य अप्रैल, 2020 तक शुरू होने की संभावना है।

187. पानी के रिसाव को रोकने तथा पानी को व्यर्थ होने से बचाने के लिए व नहरों की वाहक क्षमता बढ़ाने के लिए पुरानी व जर्जर नहरों के पुनर्वास का कार्य हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है।

188. मै, वर्ष 2020–21 में सिंचाई व जल संसाधन विभाग के लिए 4960.48 करोड़ रूपये का परिव्यय करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2019–20 के 2994.63 करोड़ रूपये के परिव्यय से 65.65 प्रतिशत अधिक है।

बिजली

189. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हर नागरिक को सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने 2015 में "म्हारा गाँव जगमग गाँव" योजना शुरू की थी, जिसके तहत लगभग 4500 गाँवों को कवर करने वाले 1048 फीडरों को पहले ही 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के अधीन लाया जा चुका है। 9 जिलों नामतः पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी और यमुनानगर के सभी गांवों में सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है।

190. उदय योजना के अंतर्गत बिजली वितरण निगमों की सकल तकनीकी और वाणिज्यिकी हानियां कम करने के लिए काफी काम हुआ है। मुझे सदन को यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2018–19 में तकनीकी और वाणिज्यिकी हानियां घटकर 17.45 प्रतिशत रह गई हैं। इसके अलावा, बिजली वितरण निगमों ने वर्ष 2017–18 में 412.34 करोड़ रुपये और वर्ष

2018–19 में 280.94 करोड रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित करके लक्षित वर्ष 2019–20 से दो साल पहले अपना वित्तीय लक्ष्य हासिल कर लिया है।

191. बिल निपटान योजना के तहत 13.61 लाख उपभोक्ताओं ने बिल निपटान स्कीम को अपनाया और 437.52 करोड़ रुपये जमा करवाए, जबकि 3806.04 करोड़ रुपये का बकाया माफ हुआ। इस तरह से इस स्कीम के तहत कुल 4243.56 करोड़ रुपये की बकाया राशि का निपटान हुआ।

192. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज वहन करने वाला देश का पहला राज्य है। वर्तमान में, बिजली वितरण निगमों का 60 प्रतिशत से अधिक राजस्व डिजिटल माध्यमों से एकत्रित किया जा रहा है।

193. किसानों को बड़ी राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2018 तक प्राप्त सभी लंबित आवेदनों के संबंध में नलकूप कनेक्शनों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। नई नीति के तहत, 10 बीएचपी तक के आवेदकों के पास बिजली वितरण निगमों से ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन या हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण से ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा कनेक्शन लेने का विकल्प होगा। इसके अलावा, भूजल के अत्यधिक दोहन और कृषि क्षेत्र के लिए आर०ई० सब्सिडी के भारी बोझ के मुद्दे को हल करने के लिए हमने निर्णय किया है कि नए नलकूप कनेक्शन अनिवार्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई/भूमिगत पाइप लाइन प्रणाली पर आधारित हों और बिजली वितरण निगमों द्वारा अनुदानित दरों पर उपलब्ध करवाए गए 5–स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल पम्प सेटों का प्रयोग हो।

194. कृषि पम्प सेट उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली वितरण निगमों द्वारा अधिभार माफी योजना–2019 शुरू की गई है, जिसके तहत 31.03.2019 तक डिफाल्टर कृषि पम्पसेट उपभोक्ताओं का अधिभार माफ कर दिया गया है। इस स्कीम को 1,11,817 उपभोक्ताओं ने अपनाया तथा 15.02.2020 तक 61.66 करोड़ रुपये की मूल राशि वसूल हुई और 23.79 करोड़ रुपये का अधिभार माफ हुआ।

195. हमारी सरकार सभी को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्बंध में, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की फरीदाबाद और यमुनानगर स्थित अपनी भूमि पर

77 मैगावाट और झज्जर तथा फरीदाबाद में पंचायत भूमि पर 16 मैगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

196. विपक्ष के कुछ साथी भ्रामक प्रचार करते है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी न रही है और न होने दी जाएगी।

197. गत पांच वर्षों के दौरान बिजली सम्प्रेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 42 नये सब–स्टेशन स्थापित किये गए हैं और 350 वर्तमान सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है। 2,697 करोड़ की लागत से 15,497 एमवीए सम्प्रेषण क्षमता बढ़ाई गई है और 1,477 किलोमीटर सम्प्रेषण लाइनें जोड़ी गई हैं। वित्त वर्ष 2020–21 में बिजली इन्फ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 28 नये सब–स्टेशन बनाने, 57 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने तथा 1,657 सर्किट किलोमीटर लम्बी लाइनें बिछाने की योजना बनाई गई है।

198. पिछले पांच वर्षों के दौरान बिजली के उचित वितरण के लिए 33 केवी के 185 नए सब–स्टेशन स्थापित किये गए हैं, 403 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और 33 केवी की 1879 सर्किट किलोमीटर नई लाइनें बिछाई गई हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान, 97 नए सब–स्टेशन स्थापित करने, 33 केवी के 85 मौजूदा सब–स्टेशन की क्षमता बढ़ाने और 33 केवी की 776 किलोमीटर नई लाइनें बिछाने की योजना है।

199. मुझे इस सदन को यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स–2019, जो ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण की पहलों पर नजर रखता है, में हरियाणा ने समग्र रैंकिंग के साथ–साथ अपने समूह में भी प्रथम स्थान हासिल किया है।

नव एवं नवीकरणीरण ऊर्जा

200. हमने वर्ष 2019–20 के दौरान 334 गौशालाओं में 1,606 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एक परियोजना शुरू की है। वर्ष 2020–21 में 200 अन्य गौशालाओं में ऐसे बिजली संयंत्र स्थापित किये जाएंगे।

201. पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने और हरित व स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हम सोलर इन्वर्टर चार्जर की एक योजना लागू कर

रही है, जिसके तहत वर्ष 2020–21 के दौरान, लगभग 33,000 सौर इन्वर्टर चार्जर सिस्टम प्रदान किए जाएंगे।

202. सरकार ने राज्य में 3 एचपी से 10एचपी क्षमता के 50,000 ऑफ–ग्रिड सौर जल पंप स्थापित करने की योजना बनाई है। प्रथम चरण में वर्ष 2019–20 के दौरान 15,000 पम्प किये जा रहे हैं और दूसरे चरण में वर्ष 2020–21 के दौरान 35,000 पम्प स्थापित किये जाएंगे।

203. मैं, बिजली विभाग के लिए 7302.86 करोड़ रुपये और नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए 256.54 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

उद्योग एवं वाणिज्य

204. माननीय अध्यक्ष महोदय! हरियाणा को एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने के लिए हमने प्रक्रियाओं के सरलीकरण के माध्यम से बड़े विनियामक सुधारों का सूत्रपात किया है। इससे राज्य आज कारोबारी सुगमता रैंकिंग में अखिल भारतीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है और उत्तर भारत में प्रथम स्थान पर है।

205. गत वर्ष हमने निवेशकों को बेहतरीन प्रोत्साहन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण, टैक्सटाइल, वेयरहाउसिंग– लॉजिस्टिक्स एंड रिटेल, फार्मास्यूटिकल और एमएसएमई के लिए पांच क्षेत्र विशिष्ट नीतियां शुरू की। इस वर्ष निवेश को आकर्षित करने तथा हरियाणा के लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। साथ ही, हम एक डेटा केंद्र नीति तथा विद्युत वाहन नीति बनाने पर तेजी से कार्य कर रहे हैं।

206. प्राकृतिक संसाधनों की कमी और समुद्री बंदरगाहों से राज्य की दूरी के बावजूद निर्यात के मोर्चे पर राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है। वर्ष 1967–68 के दौरान 4.5 करोड़ रुपये से शुरू होकर वर्ष 2018–19 में राज्य का निर्यात लगभग 98,570.24 करोड़ रुपये हो गया। इस दृष्टि से हम देश में पांचवें स्थान पर हैं।

207. उद्योग एवं वाणिज्य के लिए मैं, बजट अनुमान 2020–21 के लिए 349.30 करोड़ रूपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

नागरिक विमानन

208. भिवानी, नारनौल, करनाल, पिंजौर में मौजूदा हवाई पट्टियों का विस्तार और हिसार में एकीकृत विमानन हब की परियोजनाओं पर कार्य चालू है। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल के तहत नारनौल हवाई पट्टी पर हवाई खेल गतिविधियां शुरू की गई हैं।

209. हिसार में एकीकृत विमानन हब को विकसित करने की योजना के चरण–I के तहत, एयरोड्रम के लिए डीजीसीए लाइसेंस हासिल किया गया। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एक एयर शटल सेवा शुरू की गई और अगस्त, 2019 में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की शुरुआत के लिए सहमति–पत्र जारी किया गया। एकीकृत विमानन हब की स्थापना के लिए मौजूदा हवाई पट्टी के साथ लगती 4200 एकड़ अतिरिक्त भूमि चिन्हित की गई है।

210. एरोस्पेस मैन्यूफैक्चरिंग, एविएशन ट्रेनिंग सेंटर तथा एविएशन यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाणिज्यिक और आवासीय एयरोट्रोपोलिस का काम भी प्रगति पर है। भावी योजना के भाग के रूप में पीपीपी मोड पर करनाल में एक हवाई अड्डे तथा भिवानी में एक अन्य उड़ान प्रशिक्षण स्कूल के साथ सभी हवाई पट्टियों की लंबाई 5000 फीट तक बढ़ाने का भी हमारा प्रस्ताव है।

211. मै, वर्ष 2020–21 में नागरिक उड्डयन विभाग के लिए 173.07 करोड़ रूपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2019–20 में 42.09 करोड़ रूपये के परिव्यय से 311.22 प्रतिशत अधिक है।

सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार

212. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अंत्योदय–सरल पोर्टल, जोकि प्रदेश भर में सरकार से नागरिकों को (जी2सी) सेवाओं/योजनाओं की प्रदायगी और उनका पता लगाने के लिए एक एकीकृत मंच है, के लिए हरियाणा को भारत सरकार द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें नागरिकों को इसके केंद्र में रखते हुए राज्य में सम्पूर्ण सेवा प्रदायगी ढांचे की पुनःकल्पना शामिल है और इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को कम करके तथा सेवा प्रदायगी को मानव हस्तक्षेप मुक्त बनाकर सरकारी कार्य–प्रणाली में मौलिक व्यवहार परिवर्तन लाना शामिल है।

213. नागरिकों को अब तक 38 विभागों/बोर्डों/निगमों की (जी2सी) कुल 527 सेवाएं/योजनाएं सरल पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

214. प्रदेश में लगभग 16,141 अटल सेवा केंद्र पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 10,930 ग्रामीण क्षेत्रों में और 5,211 शहरी क्षेत्रों में हैं। ये अटल सेवा केंद्र राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजनेस–टू–कंज्यूमर (बी2सी) सेवाओं की प्रदायगी के अतिरिक्त आवश्यक जनोपयोगी सेवाओं, समाज कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय, शिक्षा और कृषि सेवाओं की प्रदायगी के लिए पहुंच बिंदु हैं।

215. सीएम विंडो, जोकि एक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है, पूरे राज्य में प्रमुख कार्यक्रम के रुप में शुरू की गई है। इस पर, अब तक कुल 6.75 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 6.37 लाख से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है।

216. राज्य ने बिना किसी मानव हस्तक्षेप और जांच के उसी समय विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु ऑनलाइन परीक्षाएं संचालित करने के उद्देश्य से एक लोअर स्कूल एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल शुरू किया है, जो पूर्णतः स्वदेशी है। वास्तविक समय परिणाम घोषणा के साथ 8,000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों के पहले बैच की परीक्षा ली गई है। इस ऑनलाइन पोर्टल का नियमित आधार पर उपयोग करके आगे भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

217. हरियाणा के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय (आईएसमओ) ने प्रदेश में नागरिकों, सरकारी अधिकारियों, विद्यार्थियों समेत विभिन्न हितधारकों को साइबर सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान करने और इससे जुड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए टोल फ्री नंबर (1800–180–4766) के साथ एक कॉल सेंटर शुरू किया है। अब तक लगभग 92,100 कॉल्स का निपटान किया गया है। प्रासंगिक घटनाओं के बारे में सीईआरटी–आईएन, एनसीआईआईपीसी और पुलिस को सूचित किया गया है।

218. हरियाणा को कैशलेस सोसाइटी बनाने के उद्देश्य से, राज्य में डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों की प्रगति की निगरानी के लिए एक एकीकृत निगरानी उपकरण ''हरियाणा कैशलेस कंसोलिडेशन पोर्टल'' विकसित किया गया था। अप्रैल 2017 से, राज्य भर में 297.00 करोड़ से अधिक के

डिजिटल लेन–देन दर्ज किए गए हैं। प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन–देन में हरियाणा पूरे देश में बड़े राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है।

219. ई–चालान प्रणाली के कार्यान्वयन के मामले में हरियाणा कुछ अग्रणी राज्यों में से एक है। यह प्रणाली नागरिकों को कैशलेस, कागज की कम खपत वाली तथा परेशानीमुक्त ई–सेवाओं की पेशकश करने के साथ–साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, भ्रष्टाचार को कम करती है और हरियाणा की ट्रैफिक पुलिस/आरटीओ इनफोर्समेंट विंग की क्षमता को बढ़ाती है। पुलिस विभाग द्वारा 31 दिसंबर, 2019 तक 29 लाख से अधिक चालान जारी किए गए। परिवहन विभाग द्वारा भी 58,000 से अधिक चालान जारी करके 193.56 लाख रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया।

220. डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए भारत सरकार की डिजी लॉकर समेकन सेवा के माध्यम से सात विभागों की उन्नीस सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अब तक हरियाणा में 33 विभागों की 390 सेवाओं को रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस) के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, आरएएस–आईवीआरएस (इंटिग्रेटिड वॉयस रिस्पांस सिस्टम) एकीकरण गो–लाइव के अंतिम चरण में है, जहां फीडबैक लेने और फीडबैक प्रतिशत बढ़ाने के लिए सिस्टम से एक आउट बाउंड कॉल शुरू किया जाएगा।

221. जनसंख्या 2015 के आधार पर शत प्रतिशत **आधार** परिपूर्णता के साथ हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के आधार कवरेज में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है।

222. राज्य ने आयकर रिटर्न भरने के लिए ई–टीडीएस प्रणाली, आधार–आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली और खजाने में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिल जमा करवाना भी लागू किया है। मेडिकल बिल ऑनलाइन जमा करवाने के लिए कस्टमाइज्ड वेब पोर्टल, पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारियों, कोषाध्यक्षों और पेंशनभोगियों के लिए ई–पीपीओ के डिजिटल हस्तांतरण हेतु स्वचालित समाधान तथा बोर्डों और निगमों के लिए वेतन प्रणाली का अनुकूलन किया जा रहा है।

223. मै, बजट अनुमान 2020–21 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकस विभाग के लिए 103.46 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ,

जोकि 2019–20 के संशोधित अनुमान 96.83 करोड़ रुपये से 6.85 प्रतिशत अधिक है।

सभी के लिए आवास

224. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत वर्ष 2019–20 में अब तक कुल 4,549 मकानों का निर्माण किया गया है व 5,860 मकान निर्माणाधीन है तथा कुल 43.67 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वार्षिक योजना 2020–21 के लिए 32 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 255 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

225. हमने निर्णय लिया है कि विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही सभी आवास योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए "सभी के लिए आवास" नाम से एक नया विभाग बनाया जाएगा।

226. आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा बीपीएल/ईडब्ल्यूएस श्रेणी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी, राजीव आवास योजना, ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, हरियाणा भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृ त निर्माण श्रमिकों के लिए आवास अग्रिम योजना, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की आशियाना योजना, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की आवास की मरम्मत के लिए डॉ. बीआर अम्बेडकर नवीनीकरण योजना जैसी विभिन्न आवास योजनाओं को "सभी के लिए आवास विभाग" के दायरे में लाया जाएगा।

227. सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के लाभार्थियों को 100 गज के प्लॉट के आवंटन में आ रही दिक्कतों को भी दूर करेगी। लाभार्थियों को आवास बनाने की सुविधा हो, इस हेतु उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के साथ जोड़ा जाएगा।

परिवहन

228. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा परिवहन प्रणाली देश की श्रेष्ठतम परिवहन प्रणालियों में से एक है जो अपने लोगों को सुरक्षित, किफायती, कुशल और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। 38 वोल्वो/मर्सिडीज सुपर लग्जरी वातानुकूलित बसों समेत 3602 बसों के मौजूदा बेड़े के साथ हमारी बसें प्रतिदिन लगभग

10.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके लगभग 9.66 लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाती हैं।

229. राज्य में सुपर लग्जरी वातानुकूलित बसों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार 31 मार्च,2020 तक 18 सुपर लग्जरी एसी मल्टी–एक्सल बसें खरीदने की प्रक्रिया में है। वर्ष 2020–21 में बीएस–VI उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाली 867 स्टैण्डर्ड नॉन–ए.सी. बसों की खरीद भी पाइपलाइन में है। इसके अलावा, विभाग ने ऑनलाइन बोली प्रणाली आधार पर किलोमीटर स्कीम के तहत भी सैकड़ों बसों को बेड़े में शामिल किया है।

230. राज्य परिवहन विभाग, हरियाणा ने किफायती, सुरक्षित, टिकाऊ यात्री परिवहन सेवाओं के साथ–साथ मैनुअल टिकटिंग प्रणाली को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से बूट मॉडल पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यूइंग मशीनों, आरएफआईडी आधारित बस पास सिस्टम और जीपीएस सिस्टम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके सितंबर, 2020 तक पूरी तरह से लागू हो जाने की संभावना है।

231. माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक दायित्व के रूप में सरकार द्वारा अपनी साधारण बसों में राज्य के 41 विभिन्न श्रेणियों के लोगों को मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसमें छात्राओं के लिए उनके निवास से शैक्षणिक संस्थानों तक 150 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा शामिल है, जिसके लिए करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला जिलों में 20 मार्गों पर 36 बसें चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, हमने छात्राओं/महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 163 मार्गों पर 181 विशेष बस सेवाएं भी शुरू की हैं।

232. मै, बजट अनुमान 2020–21 के लिए परिवहन क्षेत्र के लिए 2307.44 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

विकास एवं पंचायत

233. बेहतर स्वच्छता व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में प्रगति के लिए, राज्य को 2017 में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया था। अब, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण का ध्यान ओडीएफ प्लस पर है, जिसमें ओडीएफ के स्थायित्व तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर बल दिया गया है।

234. सभी 22 जिलों में 1395 ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 671 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं और 520 तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। 7 ग्राम पंचायतों द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में ठोस कचरे के घर–घर संग्रह, स्थानांतरण, पृथक्करण और निपटान की गतिविधियां शुरू की जा चुकी हैं।

235. मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार और लोगों के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण –2019 में हरियाणा ने उत्तर भारत में पहला और देश में दूसरा स्थान हासिल किया है।

236. हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अन्तर जिला परिषद नामक संस्था का गठन किया। मैंने स्वयं इसकी अध्यक्षता करते हुये चार बैठके की हैं। इन बैठकों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सुझावों और विचार विमर्श के उपरांत हमने पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक और वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। इस वर्ष निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग तथा उपायुक्त की पंचों, सरपंचों, पंचायतों, और पंचायत समितियों सम्बन्धित प्रशासनिक और वित्तिय शक्तियां अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को हस्तांतरित की जायेंगी ताकि पंचायतों की समस्याओं का समाधान ज़िले में ही हो सके।

237. हमने यह भी निर्णय लिया है कि कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज को भी ज़िला परिषद् के अधीन किया जायेगा ताकि ज़िला परिषद् विकास कार्यों को बेहतर ढ़ंग से करवाना सुनिश्चित कर सके। ज़िला परिषदों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने हेतू ज़िला परिषदों को विभिन्न प्रकार का टैक्स लगाने की छूट दी जाएगी। सरकार केवल इन टैक्सो की न्यूनतम एवं अधिकतम दर निर्धारित करेगी। ज़िला परिषदों को हर वर्ष कम से कम 20 करोड़ से 25 करोड़ तक की अनुदान राशि उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया है।

238. महाग्राम योजना, वर्ष 2015 में 10000 से अधिक आबादी वाले गांवों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के तहत चिह्नित 150 गांवों में सीवरेज तथा सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांट स्थापित किए जा रहें हैं। वर्ष 2020–21 से महाग्रामों में अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए एल.ई.डी स्ट्रीट लाईट लगवाई जाएंगी। महाग्रामों में

समाजिक सुरक्षा एवं विकास कार्यों तथा स्वच्छता की निगरानी हेतू सी.सी. टी.वी. कैमरे भी लगवाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त जिन ग्राम पंचायतों के पास अपने आय स्रोतों से एक करोड़ रूपए से अधिक की जमा राशि उपलब्ध है उनमें भी एल.ई.डी स्ट्रीट लाईट लगवाई जाएंगी।

239. हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 2007 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तर्ज पर किया गया था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विनियमित विकास को बढावा देना एवं मूलभूत सेवाएं प्रदान करना तथा आवासीय सुविधा, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध करवाना है। अफसोस की बात है कि अब तक इस प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों के लिए कोई राशि खर्च नहीं की गई। हमने निर्णय लिया है कि एच.आर.डी.ए. को 50 करोड़ रुपये की राशि वित्त वर्ष 2020–21 में उपलब्ध करवाई जायेगी और पूर्ण राशि को उक्त उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाएगा। जिन गांवों के लाल डोरे के भीतर के नक्शे तैयार हो जाएंगे, उन गांवों को एच0आर0डी0ए0 द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी।

240. प्रायः यह देखा गया है कि पंचायतों में हड्डारोड़ी की जमीन लगभग खत्म होती जा रही है। इसके कारण मृत पशुओं के निपटान की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुये हमने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2020–21 में प्रत्येक ज़िला परिषद् को पशुसंख्या आधार पर एक या दो वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा एक टोल फ्री नम्बर दिया जायेगा जिस पर फोन करके मृत पशु की सुचना दी जा सकेगी और उसके निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

241. वर्तमान में सभी ज़िलो में वर्ष भर मे लगभग 200 पशु मेलों का आयोजन होता है। पशुपालकों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में प्रत्येक ज़िले में पहले से निश्चित स्थानों के अलावा कम से कम एक अन्य स्थान पर प्रति माह पशु मेले का आयोजन किया जाएगा।

242. हमने पंचायती राज विभाग के बजट में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्वि की है, जोकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का सूचक है। हम इस वर्ष ग्राम पंचायतों की उनके अपने स्रोतों से आय अर्जित करने की प्रणाली में सुधार लाएंगें ताकि उनकी वार्षिक आय 350.00 करोड़ रूपए से बढ़कर 500.00 करोड़ रूपए तक हो सके।

243. ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु ई–पंचायत व्यवस्था लागू की जाएगी। ग्राम पंचायतों द्वारा करवाए जा रहे पक्की गलियों जैसे विकास कार्य अब ई–टैन्डर के माध्यम से ही करवाए जाएंगे।

244. हमारी सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर दी जाने वाली अनुदान राशि को समय पर दिया जाना सुनिश्चित करेगी। साथ में ऐसे स्थानीय निकाय, जो कि वित्तीय तौर पर सुदृढ़ नहीं है उनको विकास कार्यों के लिए समान अनुदान दिया जाएगा। मैने केन्द्रीय तथा राज्य वित्त आयोग तथा अन्य स्रोतों की सहायता को मिलाकर हर विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ रुपये की दर से 7200.00 करोड़ रुपये वार्षिक धनराशि उपलब्ध करावने का प्रावधान रखा है।

ग्रामीण विकास

245. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना श्रमिकों को 284 रुपए प्रति दिवस न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के लिए 350.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

246. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत कुल चयनित 10 कलस्टरों में 152 गांव शामिल किये गये है। वर्ष 2019–20 में अब तक कुल 377 कार्य आरम्भ किये गये जिनमें से 32 कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा कुल 70.43 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक योजना 2020–21 के लिए 245.00 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

247. दीन दयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 10,040 स्वयं सहायता समूह बनाये गए हैं और 7299 स्वयं सहायता समूहों को 42.58 करोड़ रुपये का Revolving Fund दिया गया है। स्टार्ट–अप विलेज एंट्रेप्रीन्योरशिप प्रोग्राम का कुल उद्देश्य ग्रामीण उद्यमों को शुरु करने और सहायता करने के लिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और गरीबी व बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को लागू करना है। इन योजनाओं के अतंर्गत वार्षिक योजना 2020–21 के लिए 200.00 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र व राज्य सरकार के हिस्से के रूप में प्रस्तावित की गई है।

248. मैं, इन गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2020–2021 के लिए 6294.79 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ, जो संशोधित अनुमान 2019–20 के 5164.36 करोड़ रुपये की तुलना में 21.89 प्रतिशत की वृद्वि है। इसमें ग्रामिण विकास के लिए 879.06 करोड़ रुपये का और विकास एवं पंचायत विभाग के लिए 5415.73 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय

249. राज्य की पुरातात्विक भव्यता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, राज्य के सभी हड़प्पा स्थलों को दर्शाने वाली एक एटलस और 2020 के लिए हड़प्पा मुहर पर एक कैलेंडर प्रकाशित किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में बुद्ध स्तूप को पर्यटन आकर्षण स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य के प्राचीन स्थलों के संरक्षण के लिए पुरानी तहसील बिल्डिंग नूंह, लोहारू किले और तावडू के मकबरा परिसर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इसके अलावा, पंचकूला में एक स्टेट–ऑफ–आर्ट पुरातात्विक संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है।

250. हिसार के गांव राखीगढ़ी में एक स्थल संग्रहालय एवं व्याख्या केंद्र निर्माणाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ मैं केन्द्रीय बजट 2021 में राखीगढ़ी को देश के एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा करने के लिए माननीया केंद्रीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। उन्होंने इसके लिए केन्द्रीय बजट में 1000.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

251. मैं बजट अनुमान 2020–21 में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के लिए 119.25 करोड़ रुपये का और अभिलेखागार के लिए 2.63 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।

खान एवं भूविज्ञान

252. सरकार ने सतत विकास के सिद्धांतों का पालन करते हुए राज्य के खनिज संसाधनों का व्यवस्थित अन्वेषण और दोहन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। खनन क्षेत्रों के सीमांकन और भू संदर्भ मानचित्रण के लिए हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ एक समझौता किया गया है।

253. हम अवैध खनन के प्रति जीरो टोलरेंस नीति का पालन कर रहें हैं। वर्ष 2020–21 में सभी खनन स्थलों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। खनिज रियायत प्रदान करने में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ई–नीलामी और ई–रवाना बिलिंग प्रणालियों का पालन अनिवार्य किया जाएगा।

254. बजट अनुमान 2020–21 के लिए खान एवं भूविज्ञान विभाग हेतु 111.02 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, जो बजट अनुमान 2019–20 के 101.55 करोड़ रुपये के परिव्यय से 9.33 प्रतिशत अधिक है।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

255. बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्कूलों में इको क्लब स्थापित किए गए हैं। इन्हें अब जिला परिषदों के माध्यम से आगे बढाया जाएगा। सभी 22 जिलों में कुल 5250 ईको क्लब बनाए गए हैं। आईएमटी मानेसर में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, पंचकूला में रणनीतिक ज्ञान केंद्र तथा वेटलैंड के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए स्थापित राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।

256. राज्य में वृक्ष आवरण जोकि वर्तमान में 6 प्रतिशत है, उसको 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग द्वारा एकत्रित राजस्व को उपयोग में लाया जाएगा।

257. मै, बजट अनुमान 2020–21 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 12.64 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ, जो संशोधित अनुमान 2019–20 में 12.05 करोड़ रुपये था।

पर्यटन

258. माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने और हरियाणा को देश का प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए राज्य में अनेक कदम उठा रही है। ''स्वदेशी दर्शन योजना'' के तहत, कुरुक्षेत्र में कृष्णा सर्किट की पहचान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए की गई है। ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी, सन्नहित सरोवर स्थलों का विकास योजना के भाग के रूप में किया जाएगा।

259. शिवालिक की पहाड़ियों में प्राचीन महत्व के स्थलों जैसे आदि बद्री और लोहगढ़ का विकास किया जाएगा। प्रदेश में सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत एक मैगा एक्वेरियम भी स्थापित किया जाएगा।

260. बजट अनुमान 2020—21 में पर्यटन और संस्कृति विभाग के लिए 59.93 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर

261. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे राज्य ने जुलाई से दिसंबर 2019 के बीच वर्ष 2018—19 की इसी अवधि की तुलना में राज्य जीएसटी में 30.15 प्रतिशत की आर्कषक वृद्धि और अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान 18.44 प्रतिशत की कुल वृद्धि दर्शाई है। इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय आंकड़े ने जीएसटी संग्रहण में 4.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है।

262. जीएसटी लागू होने के बाद कर दाताओं का आधार 1.92 लाख से बढ़ कर 4.51 लाख हो गया है, जो पहले की तुलना में अढ़ाई गुना से अधिक है। नए पंजीकृत डीलरों के भौतिक सत्यापन के एक विशेष अभियान के फलस्वरूप, 16,966 फर्जी डीलरों का पता चला और उन्हें विपंजीकृत किया गया। 190 व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े धोखाधड़ी के पंजीकरण और आईटीसी के फर्जी दावे के मामलों में 102 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

263. जी0एस0टी0 के तहत पंजीकृत व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्धटना बीमा योजना शुरू की है। जिसमें कुल 3.13 लाख पंजीकृत कर दाताओं से जुड़े 3.86 लाख व्यक्ति लाभकर्ता होंगे। इस योजना में दुर्घटना में मृत्यु या स्थाई दिव्यांगत होने पर 5 लाख रूपये का बीमा कवर होगा। एक दूसरी याजना मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की है, जिसमें 3.13 लाख व्यापारियों के स्टॉक या फर्नीचर के नुकसान की भरपाई करने के लिए 5 लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक का बीमा किया गया है। इन दोनों स्कीमों के लिए सम्पूर्ण प्रीमियम का भुगतान सरकार ने किया है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

264. हमारी सरकार शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध है। इसीलिए नगर निगमों के मेयर पद तथा नगर परिषदों व

नगरपालिकाओं में प्रधान के पद पर प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान बनाया गया है।

265. उन सभी निकायों को वित्तीय स्वायतता की ओर ले जाने का भी हमारा कड़ा इरादा है। सभी शहरी निकायों को अपने क्षेत्र में वसूले जाने वाले करों/शुल्क की दर को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा के बीच कहीं भी तय करने का अधिकार होगा। इनके वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिये सम्पत्ति कर एवं अन्य शुल्कों का पुनः आंकलन किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों में कार्य के निष्पादन हेतु रिक्त पदों को भरा जायेगा तथा नये पदों का सृजन किया जायेगा।

266. स्थानीय निकायों के विकेन्द्रीयकरण के लिये उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे तथा जिला स्तर पर ही किसी नामित अधिकारी को उस जिले में स्थित सभी निकायों के लिये प्रशासनिक एवं वित्तिय शक्तियां हस्तान्तरित की जायेंगी। साथ ही विकास कार्यों को करवाने के लिये सभी नगर निकायों की प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी की जायेगी।

267. हमारी सरकार 'विवाद से समाधान' हेतु कृतसंकल्प है। शहरी क्षेत्रों में करदाता को एक मुश्त सम्पत्ति कर जमा करवाने पर वर्ष 2016–17 तक के देय सम्पत्ति कर पर 20 प्रतिशत तक की छूट तथा 100 प्रतिशत ब्याज माफी होगी एवं वर्ष 2018–19 तक के बकाया सम्पत्ति कर पर 100 प्रतिशत ब्याज की माफी दी जायेगी। पिछले तीन वर्षों में समय पर सम्पत्ति कर जमा करवाने बारे नियमित करदाताओं को प्रोत्साहन स्वरूप 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। 'आटो डेबिट' के माध्यम से सम्पत्ति कर जमा करवाने पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट दी जायेगी। स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधायें मुहैया करवाने वाली धर्मार्थ संस्थानों को भी सम्पत्ति कर में विशेष राहत मिलेगी। प्रदेश के समस्त शहरी क्षेत्रों में पानी व सीवर के अवैध कनैक्शन को नियमित करवाने पर रोड कटिंग व कनैक्शन शुल्क माफ किया जायेगा तथा इनके बकाया बिलों के एक मुश्त भुगतान पर 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 20 वर्षों से निगम के मकान एवं दुकानों के किरायेदारों को मालिकाना हक देने की तर्ज पर अब सरकार स्थानीय निकायों की भूमि पर बसे हुये परिवारों को निश्चित मापदण्ड पूरे करने पर मालिकाना हक देगी। नगर सुधार मण्डलों से सम्बन्धित भूमि या दुकानों के मामलों को चिन्हित करके इनकी मलकीयत,

स्थानान्तरण, सबलेटिंग, तहबाजारी इत्यादि से सम्बन्धित विवादों का भी समाधान किया जायेगा।

268. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2020–21 से सभी शहर के सभी मार्गो पर समुचित प्रकाश के लिये एक नई योजना 'जगमग शहर योजना' का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अन्तर्गत सभी शहरी क्षेत्रों के लगभग 5 लाख लाईट प्वाईटों को एल.ई.डी. लाईटों से बदला जायेगा।

269. साथ ही, मैं कुछ चुने हुये शहरों के सर्वागीण विकास के लिये भी 'मेरा शहर सर्वोत्तम शहर' नामक एक नई योजना का प्रस्ताव करता हूँ। इस योजना के तहत चयनित किये गये शहरों में आधुनिक जन सुविधाओं जैसे न्यूनतम 18 घण्टे पेय जल वितरण, आवारा पशु मुक्त बनाना, पार्कों का आधुनिकरण, प्रमुख चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों की व्यवस्था, एक मुख्य सड़क पर बिजली के तारों को भूमिगत करना इत्यादि का प्रबन्ध किया जायेगा। चयनित शहरों को उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा एवं इसके लिये बजट में उपयुक्त धनराशि का प्रावधान है।

270. यद्यपि सरकार का लक्ष्य सभी स्थानीय निकायों को पूर्ण रूप से स्वायत्त बनाना है, इस कार्य में कुछ समय लगने की सम्भावना है। ऐसे सभी वित्तीय रूप से कमजोर निकायों में आधारभूत सुविधायें देने के लिये 'मंगल शहर योजना' में 200 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

271. हमारी सरकार समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिये प्रतिबद्व है। वर्ष 2020–21 से सभी शहरी निकायों को अपने संसाधनों से न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि स्लम कालौनियों व अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों के विकास कार्यों पर खर्च करना सुनिश्चित किया जाएगा।

272. सीवर की सफाई में लगे कर्मियों की सुरक्षा के लिये हमारी सरकार अत्यन्त संवेदनशील है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी भी स्थिति में सफाई कर्मी को सीवर में उतरना ना पड़े, सभी शहरों में आधुनिक सफाई उपकरण जैसे कि जैटिंग मशीन, सुपर सकर मशीन एवं निजी सुरक्षा उपकरण वांछित मात्रा में तुरन्त उपलब्ध करवाये जायेंगे। सड़क पर सीवर के ढक्कन के खुले होने या टूटने पर गम्भीर दुर्घटना होने की

आशंका बनी रहती है, इसे दूर करने के लिये सीवर के ढक्कन को बदलने को 'सेवा के अधिकार अधिनियम' के तहत सम्मिलित किया जायेगा।

273. शहरी क्षेत्रों में डेयरी मालिकों द्वारा गोबर डालने के कारण सीवर जाम हो जाता है, इस समस्या के समाधान के लिये शहरी निकायों द्वारा 'डेयरी टू डेयरी' गोबर एकत्रित किया जायेगा और इस सेवा के लिये डेयरियों पर उचित शुल्क भी लगाया जायेगा।

274. सभी अनाज मण्डियों में फायर ब्रिगेड की समुचित व्यवस्था की जायेगी। बड़े महानगरों जैसे गुरूग्राम, सोनीपत, पंचकूला, फरीदाबाद इत्यादि में बहुमंजिला ईमारतों की अग्नि सुरक्षा के लिये हाईड्रोलिक प्लैटफार्म उपलब्ध करवाये जायेंगे।

275. शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है। इसके समाधान के लिये 'ई–मोबिलीटी' अभियान चलाया जायेगा जिसके अन्तर्गत पुराने डीजल ऑटो को ई–ऑटो, ई–रिक्शा, सी0एन0जी0 ऑटो से बदलना, शहरी क्षेत्रों में बिजली–चालित बसों का संचालन, घर–घर से कूडा इकट्ठा करने के लिये ई–रिक्शा आदि की व्यवस्था की जायेगी। शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी एवं फड़ी लगाने वाले विक्रेताओं के पुनर्स्थापन के लिये 'सायंकालीन हाट' स्थापित किये जायेंगे ।

276. मैं शहरी स्थानीय निकायों हेतु वर्ष 2020–21 के लिए 4916.51 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ।

नगर तथा ग्राम आयोजना

277. पंचकुला, हमारे प्रदेश की राजधानी, चण्डीगढ़, के सबसे निकट शहर के साथ–साथ ट्राईसिटी का एक महत्वपूर्ण शहर, तथा, 'देवभूमि' हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी है। इसका विकास एन0सी0आर0 के शहरों की तरह होना चाहिए। पंचकुला में हर प्रकार के निवेश को गति देने हेतु हर तरह के नए लाईसेंस तथा सी0एल0यू0 परियोजनाओं के शुल्क को वर्ष 2020–21 और 2021–22 की अवधि के लिए मोहाली में लागू शुल्क के बराबर कर दिया जाएगा।

278. प्रदेश में अभी तक ***"किराया आधारित आवास"*** के महत्व को पूरी तरह से नज़र अदांज किया है। छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, कामकाज़ी महिलाओं, निम्न/सीमांत आय वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए "किराया आधारित आवास" की नीति बनाई जाएगी जिससे वर्ष

2020–21 से इस प्रकार के आवास की उपलब्धता होनी शुरू हो जाएगी।

279. वर्ष 2005 से 2014 तक लगभग 38,000 एकड़ क्षेत्र के लिए लगभग 1,200 लाइसैंस दिये गए जिनमें से अधिकतर परियोजनायें ई0डी0सी0 समय पर नहीं दे पायी, तथा बकाया बढ़ गया। जहाँ लाईसैंस दिये गये, उस क्षेत्र में विकास के लिए, सैक्टर रोड़ तथा ग्रीन बैल्ट की भूमि अधिग्रहित की गई, जिसका मुआवजा लगभग 10 से 15 करोड़ रूपये प्रति एकड़ देना पड़ रहा है जबकि इसका अनुमान इससे कहीं कम था। इसी परिप्रेक्ष्य में, केन्द्रीय बजट में "एक–मुश्त राहत" के तौर पर घोषित "***विवाद से विश्वास***" योजना की रूपरेखा अनुसार शीघ्र ही हम "***समाधान से विकास***" योजना लाएँगे। सरकारी संस्थानों/ निगमों में आमतौर पर निर्धारित समय के भीतर भवनों के निर्माण न करने व किस्तों का भुगतान न करने पर आबंटित संपत्तियों को Resume कर लिया जाता है तथा बढ़े हुए मूल्यों पर नीलामी की जाती है। हमारा संपति विक्रय नियमों में संशोधन करने का विचार है ताकि ऐसे प्लॉटों की नीलामी के बाद होने वाले लाभ में उस प्लाटधारक की भी हिस्सेदारी हो। इससे ऐसे मामलों में विभिन्न प्रकार के मुकदमों में भारी कमी आएगी।

280. मैं बजट अनुमान 2020–21 में नगर तथा ग्राम आयोजन विभाग के लिए 1561.80 करोड़ रूपये का आवंटन करता हूँ।

अन्त्योदय

281. हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछडे वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतया वचनबद्ध है तथा इनके सामाजिक–आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा हैं।

282. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत लाभपात्रों को शादी से पहले या शादी के दिन ही योजना का लाभ देने के लिए इसका सरलीकरण किया जाएगा।

283. कानूनी सहायता स्कीम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत सभी अनुसूचित जातियों के लोगों को उनके खिलाफ हुए विभिन्न उत्पीड़नों के विरूद्ध दर्ज मुकद्दमों की पैरवी करने के लिए कानूनी वित्तीय सहायता की राषि 11000 रूपये से बढ़ाकर 22000 रूपये किया

जाएगा। इस स्कीम के प्रचार–प्रसार के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के लोकसभा सदस्यों द्वारा 10–10 तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के विधान सभा के सदस्यों की सहायता से 5–5 सैमीनार/जागरूकता अभियान आयोजित किये जाएंगे।

284. मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति एंव पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों को उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आर्थिक सहायता योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जाति एंव पिछडे वर्ग के अभ्यार्थियों को प्रतिष्ठित/चयनित संस्थानों के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये एक लाख रूपये या 75 प्रतिशत (जो भी कम हो) का भुगतान किया जाएगा।

285. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाओं व नौकरी के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु कोचिंग की सुविधा देने के लिये भी मैं एक नई योजना का प्रस्ताव करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष हरियाणा के विद्यालयों में पढ़ने वाले 5000 छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों में कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

286. हमारी सरकार समाज में रहने वाले बुजुर्गों, विधवाओं, निःशक्तों, बेसहारा बच्चों व अन्य विशेष जरूरत वाले वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

287. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 28 लाख से अधिक लाभार्थियों को मासिक आधार पर पैंशन, भत्ता, वित्तीय सहायता इत्यादि प्रदान की जा रही है। सरकार के द्वारा वृद्वावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं बेसहारा महिलाओं की पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बौना भत्ता, किन्नर भत्ता, तथा लाडली पेंशन योजना के अन्तर्गत मासिक पेंशन की राशि जनवरी, 2020 से 2000 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये कर दी गई है।

288. निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता भी 1100 रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 1350 रुपये प्रति मास की गई है। स्कूल नहीं जाने वाले निःशक्त बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 1400 रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 1650 रुपये प्रतिमास की गई है। ''कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता'' योजना के तहत 1000 रुपये प्रति मास प्रति सदस्य की राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति मास प्रति सदस्य किया गया है, जिसकी

अधिकतम सीमा 5000 रुपये प्रतिमास की बजाय अब 6250 रुपये प्रति परिवार की गई है।

289. वर्ष 2020–21 में सभी जिलों में गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर वृद्धाश्रम स्थापित किये जाएंगे।

290. मैं बजट अनुमान 2020–21 में समाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए 8770.18 करोड़ रूपये और अनूसुचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 519.34 करोड़ रूपये का आवंटन करता हूँ।

सुशासन में कर्मचारियों की सहभागिता

291. मेरा मानना है कि सुशासन की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में हमारे कर्मचारियों व अधिकारियों की अहम भूमिका है। वर्ष 2020–21 से इनके प्रशिक्षण हेतु एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। हर नए भर्ती हुए कर्मचारी को समग्र रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। हर कार्यरत कर्मचारी को अगले तीन वर्षों में हम उसकी आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित करेंगे। पदोन्नति पर कार्यभार संभालने से पहले भी सभी को प्रशिक्षण लेना होगा। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान को शीर्ष संस्थान के रूप में यह दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों के सदस्यों को भी नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ।

292. उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तथा सरकारी कर्मचारियों के अनुभव से फायदा उठाने के लिए, जो सरकारी कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा के उपरांत नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय प्रांरभ करना चाहेगें, सरकार उनके बैंकों के द्वारा ऋण लेने पर गांरटी देगी।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

293. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हाल ही में जारी "प्रत्यक्ष लाभ अंतरण निष्पादन सूचकांक 2019–20" के अनुसार हरियाणा ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है । वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य ने प्रत्यक्ष हस्तांतरण माध्यम से 7,160.08 करोड़ रुपये का अंतरण किया है। राज्य में संचालित 141 स्कीमो के लिए वर्ष 2019–20 में 4.3 करोड़ रुपये का लेन देन हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 तक 1,182.18 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण

294. हमारे लिए यह बड़ी गर्व की बात है कि देश का हर 10वां जवान हरियाणा से है। राज्य सरकार सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों व अर्ध सैनिक बलों के जवानों के साथ–साथ उनके परिवारों के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे वीर सैनिकों के द्वारा राष्ट्र के प्रति की गई सेवाओं और उनके महान बलिदानों का सम्मान करते हुए, राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं को वित्तीय सहायता, सरकारी नौकरियां देने और युद्ध में शहीद हुए वीरों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान और शौर्य अवार्ड व विशिष्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले को नगद राशि, उनकी लड़कियों की शादी पर अनुदान, हरियाणा से नये कमीशन्ड अधिकारियों को नकद पुरस्कार जैसी कई स्कीमें चलाई जा रही हैं।

295. मैंने वर्ष 2017 में गठित सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई निम्न स्कीमों के लिए 50.00 करोड़ रुपये बजट में निर्धारित किए है :

(i) सैनिकों और अर्ध सैनिकों के आश्रितों के लिए निशुल्क कोंचिग स्कीम।

(ii) सैनिकों और अर्ध सैनिकों के आश्रितों के लिए उच्च कोटि की शिक्षा स्कीम।

(iii) सैनिको और अर्ध सैनिकों के आश्रितों के लिए एम. फिल. व पी.एच.डी. के लिए फैलोशिप स्कीम।

(iv) सैनिकों और अर्धसैनिकों के आश्रितों के लिए कौशल विकास स्कीम।

296. बजट अनुमान 2020–21 के लिए सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण के लिए 142.05 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

नागरिक संसाधन सूचना विभाग

297. नवगठित "नागरिक संसाधन सूचना विभाग" विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किये जा रहे लाभों और स्कीमों के सम्बन्ध में, विभिन्न विभागों को जोड़ने के लिए एक सांझा आंकड़ा आधार एकल तरीके से तैयार करेगा। इस उद्देश्य के लिए राज्य के हर परिवार को 'परिवार पहचान पत्र' दिया जाएगा जोकि एक परिवार पहचान होगा। परिवार पहचान पत्र सरकारी लाभों, स्कीमों, सब्सिडियों और सेवाओं की प्रदायगी के लिए एक पहचान

पत्र होगा। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 26 जनवरी, 2020 को इसकी शुरुआत से लेकर अब तक 10.10 लाख परिवारों का ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका है और उन्हें इलैक्ट्रॉनिकली पहचान पत्र दिए जा चुके हैं।

298. सरकार ने एक नई स्कीम 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' शुरू की है । इस स्कीम के तहत जिन परिवारों की सभी संसाधनों से वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या इस से कम है और भूमि जोत 5 एकड़ या कम है, उन्हें 6000 रुपये वार्षिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता लाभार्थी के अंशदान के लिए विभिन्न बीमा और पेंशन स्कीमों जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के लिए दी जाती है। अंशदान के बाद शेष बची राशि लाभार्थी परिवार के खाते में सीधे जमा कराई जाएगी। स्कीम के तहत 26 जनवरी, 2020 को ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अति हर्ष हो रहा है कि 26 फरवरी, 2020 तक 6.55 लाख परिवारों का पहले ही पंजीकरण हो चुका है। इन लाभार्थियों को 31 मार्च, 2020 से पहले अदायगी कर दी जाएगी।

299. अन्त में, मुझे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के इस व्याख्यान का स्मरण हो रहा है:—

अलब्धलनाभार्था

लब्धपरिरक्षणी रक्षितविवर्धनी

वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनी च

अर्थात

जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना,
जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना,
जो संरक्षित हो गया उसे समानता के
आधार पर बांटना।

300. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट हमारी प्राथमिकताओं और हमारी आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब है। हमारा उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना और इन निधियों का इस तरह से प्रयोग करना है कि इस बजट में घोषित कार्यक्रमों के लाभ आम आदमी तक पहुंचें। मैं इस बजट को हरियाणा के लोगों के कल्याण को समर्पित करता हूँ और स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलम्बन के अनुरूप प्रस्ताव करता हूँ। 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' हमारा मूलमंत्र है और यही भावना प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे प्रयासों के केंद्र–बिंदु में निरंतर बनी रहेगी। मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ कि वित्त मंत्री के रूप में मेरा बजट भाषण आपने बड़े धैर्य से सुना।

301. अब मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि आप इस गरिमामयी सदन में बजट प्रस्तावों पर चर्चा व विचार–मंथन करके इन्हें अंगीकार करें। मेरे बजट प्रस्ताव राज्य के कर्मठ लोगों को समर्पित हैं और उनके हित में हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में, हरियाणा सरकार प्रत्येक हरियाणवी की खुशहाली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।

302. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं वर्ष 2020–21 के बजट प्रस्ताव सदन के विचार–मंथन और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

वंदे मातरम्।

जय हिन्द।